पत्रिका के लिए सम्पर्क

मध्यप्रदेश

सौसर	- लीलाधर सोमकुवर	8878577473
	मोरेश्वर रंगारे	9617145254
पांढुर्णा	- सुभाष सहारे	9753899561
	राजेन्द्र सोमकुवर	9893378559
बोरगाव (रेमण्ड)	अशोक कडबे	9424938454
सिवनी	- पी.सी. टेम्भरे	9425426500
जबलपुर	- एल.एम.खोब्रागडे	9685572100
	डोमाराव खातरकर	9770026154
भोपाल	- राहुल रंगारे	9893690451
सिहोर	- रवीन्द्र बांगरे	9425842508
छिन्दवाड़ा	- एस.सी.भाऊरजार	9893880415
सारणी	- किरण तायडे	9407282113
गुना	- लक्ष्मणसिंह बौद्ध	9827309472
दतिया	- आशाराम बौद्ध	9893997750
मंडला	- अमरसिंग झारीया	9993881515

छत्तीसगढ़

चरोदा (भिलाई)	- मोरश्वर मेश्राम	9827871848
रायपुर	- सुनील गणविर	9753232894
राजनांदगाव	- रामप्रसाद नंदेश्वर	8103907945
बिलासपुर	- हरीश वाहाने	9424169477
चाम्पा	- संजीव सुखदेवे	9425575730
सारंगढ़	- नरेश बौद्ध	7828173910

उत्तरप्रदेश

लखनऊ	- निगमकुमार बौद्ध	9415750896
मोठ(झांसी)	- महेश गौतम	9452118038
आगरा	- जितेन्द्र प्रसाद	9927256608
झांसी	- अमरदीप	9695529570

महाराष्ट्र

नागपुर	- दादाराव वानखेडे	9423102300
जाफराबाद	- बुद्धप्रिय गायकवाड	9764538108
अमरावती	- बापू बेले	9403593773
मोर्शी	- देवेन्द्र खांडेकर	9370197740
पुणे	- प्रशांत घंघाळे	9765915686
मूल	- हंसराज कुंभारे	9763694293
मुम्बई	- राजु कदम	9224351635
वरोरा	- भाऊराव निरंजने	7875902211
चंद्रपुर	- रामभाऊ वाहाने	9421879386
ब्रह्मपुरी	- प्रा. एस.टी.मेश्राम	9766938647

त्रैमासिक

प्रज्ञा प्रकाश

अनुक्रमणिका

● धम्म प्रचार की दिशा............................ 2

● संपादकीय 4

● क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति - बाबासाहेब आंबेडकर.......6

● बुद्ध और उनका धम्म

धम्मचक्र प्रवर्तन 12

● वर्तमान घटनाक्रम........................... 19

● न्यायपालिका 33

● समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम 36

● समिति के आगामी कार्यक्रम 38

● भारतीय संविधान की संक्षिप्त जानकारी 45

त्रैमासिक प्रज्ञा प्रकाश

नियमित पढ़िए और दूसरों को पढ़ने दें.
क्योंकि यह भी एक समाजकार्य है.

सदस्यता राशि इस पते पर भेजें
हृदेश सोमकुवर,
सम्पादक
'प्रज्ञा प्रकाश' 363, बाबा बुद्धाजी नगर,
कामठी रोड, नागपुर-440 017.

'प्रज्ञा प्रकाश' का
मुल्य- रू. 20/-प्रति अंक
तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 80/-

धम्म प्रचार की दिशा

अंतर्राष्ट्रीय बुद्धीस्ट कॉन्फरन्स, रंगुन (बर्मा) में 4 दिसंबर 1954 को डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दिये गये भाषण का अंश

अब मैं उन प्रारंभीक बातों की ओर रूख करता हूँ जो भारत में बुद्धीजम को पुनर्जिवित करने के लिए आवश्यक है। इस संबंध में मैं अपने विचार निचे दे रहा हूँ।

1. **बुद्धीष्ट गॉस्पेल (उपदेशीका) बनाना, जो धम्म दिक्षा लेने वाले व्यक्ती के साथ हमेशा रहे।** बुद्ध की शिक्षा को समाहीत करने वाली एक छोटीसी उपदेशीका की आवश्यकता यह बुद्ध धम्म के प्रचार में बहुत बड़ी कमी है। साधारण आदमी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह पाली भाषा के 73 ग्रंथ पढ़े। बुद्धीजम की तुलना में क्रिश्चनीटी को बहुत बड़ा फायदा है क्यों कि 'बाईबल' नामक छोटीसी किताब में यीशू का संदेश समाहीत है। बुद्धीजम के प्रचार में इस कमी को दूर करना आवश्यक है। बुद्ध की उपदेशीका बनाते वक्त **इस बात की सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि, बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर बल देना जरूरी है। मैं इसे इसलिए जोर देकर कहता हूँ क्योंकि ध्यान, साधना और अभिधम्म को महत्व दिया जा रहा है। भारतीयों को इस प्रकार से बुद्धीजम बताना हमारे हित की दृष्टीसे घातक है।**

2. साधारण व्यक्ती के प्रवेश के लिए क्रिश्चनों में 'बपतिस्मा' जैसी विधी है। बौद्ध उपासक बनने के लिए वास्तव में ऐसी कोई विधी नहीं है। जो भी विधी है वह भिक्खु के लिए संघ में प्रवेश के लिए है। क्रिश्चनों में दो विधियां है-

   1) बपतिस्मा क्रिश्चन धर्म को स्विकार करना दर्शाता है।

   2) पादरी नियुक्ती (ordination) याने पादरी बनना । बुद्ध धम्म में बपतिस्मा जैसी कोई विधि नहीं है। लोगों द्वारा बौद्ध बनने के बाद बुद्ध धम्म को त्यागने का यह मुख्य कारण है। परंतु हर साधारण आदमी को बौद्ध बनने के पुर्व क्रिश्चन बपतिस्मा जैसी विधी से गुजरना पड़े ऐसी विधी कदापि लागू नहीं करनी चाहिये। **केवल पंचशिल कहना पर्याप्त नहीं है। दुसरी अनेक ऐसी बाते जोड़ना आवश्यक है जिससे आदमी को यह महसूस हो कि वह अब हिन्दु नहीं रहा और एक नया व्यक्ति बन गया है।**

3. **साधारण धम्म प्रचारक नियुक्त करना जो घुम-घुम कर बौद्धों को धम्म का उपदेश दे सकें और देख सके कि वह बुद्ध धम्म का कितना पालन कर रहे है।** साधारण धम्म प्रचारकों को वेतन देना ही चाहिये। दुसरी बात यह कि वह विवाहित व्यक्ती होने चाहिये। प्रारंभ में वह अंशकालीक कार्यकर्ता (Part time worker) हो सकते है।

4. बुद्ध धम्म की सेमिनरी स्थापित करनी चाहिये। जो धम्म प्रचारक बनना चाहते है उन्हें वहां बुद्ध का धम्म सिखाया जा सकें, साथ ही अन्य धर्मों का भी तुलनात्मक अभ्यास कराया जा सके।

5. बुद्ध विहारों में हर रविवार को सामुहिक वंदना

करनी चाहिए और उसके बाद धम्मोपदेश देना चाहिये।

उपरोक्त प्रारंभिक कार्यों के अलावा कुछ दुसरी चिजें भी बड़े पैमाने पर करनी आवश्यक है, जो हमारी धम्म प्रचार की मुहीम के लिए सहायक होगी।

1. चार महत्वपूर्ण शहरों में,

(1) चेन्नई (2) मुंबई

(3) नागपुर और (4) दिल्ली

भव्य विहारों का निर्माण करना।

2. 1) चेन्नई, 2) नागपुर,

3) कलकत्ता और 4) दिल्ली में हाईस्कुल और कॉलेज स्थापित करना।

3. बुद्ध धम्म के विषयोंपर निबंध आमंत्रीत करना और भरपुर राशी के प्रथम तीन पुरस्कार देना ताकि बुद्ध धम्म का अभ्यास करने का अधिक से अधिक प्रयास करने का आकर्षण लोगों में बढ़े । निबंध हिन्दु, मुस्लिम, क्रिश्चन, पुरूष, महिला सबके लिए खुला हो।लोगों में बुद्ध धम्म का अभ्यास करने की रूची पैदा करने का यह सर्वाधिक अच्छा तरीका है।

(Source: Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, vol.17, part three - pages 508,509,510)

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

Mob. 09970616106

प्रज्ञा प्रिन्टर्स

पत्रिका,किताबें, कॅलेण्डर, पोस्टर्स,

पाम्पलेट एवं अन्य सामग्री की उत्कृष्ठ छपाई

सिंगल कलर एवं मल्टिकलर में

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

गुरमुखदास कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., रायपुर

संपादकीय

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था 'गुलामों को गुलामी को अहसास करा दो तो वह गुलामी के विराध में विद्रोह करेंगे'। सबसे बड़ी गुलामी मानसिक गुलामी है। बाबासाहेब ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम लोगों को उनकी गुलामी का अहसास कराया, उनमें स्वाभीमान पैदा हुआ और वह अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए तयार हुये। उन्होंने बाबासाहेब के आंदोलन में साथ दिया। यह करते वक्त ब्राह्मणवादीयों ने उन्हें अनेक यातनायें दी परन्तु उनकी पर्वाह न करते हुये बाबासाहेब के मार्गदर्शन में अपनी मुक्ती के लिए लड़ते रहे। बाबासाहेब का त्याग और कार्य उनके लिए प्रेरणास्त्रोत था। उस वक्त गुलामी चरम सिमा पर थी और गुलाम निर्जीव हो चुके थे। बाबासाहेब ने उनमें जान डाल दी। उनका साथ लेकर, अपनी विद्वता और अथक प्रयासों के बल पर बाबासाहेब ने उन्हें गुलामी से मुक्ती दिलाई। संसार की यह महान क्रांति थी। पशुओं से भी बुरा जीवन जीने के लिए मजबुर मानव को मानवता दिलाने वाली क्रांती से बढ़कर अन्य कोई क्रांति नहीं हो सकती। बाबासाहेब यही पर रूके नहीं। उन्होंने भारतीय संविधान में इन वंचीत लोगों के उत्थान के लिए प्रावधान किये, एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति के साथ विषमता का व्यवहार न करे और फिर गुलामी प्रस्थापित न हो इसलिए समता को संविधान का आधार बनाया और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाये । भारत मानव कल्याणकारी राष्ट्र बने इसलिए संसार का सर्वोत्कृष्ठ संविधान दिया। साथ ही एक मानव द्वारा दुसरे मानव को गुलाम बनाने वाले, मानव-मानव में भेद करने वाले, हिन्दु धर्म को समाप्त करने के लिए समतावादी और मानवकल्याणकारी बुद्ध धम्म की दीक्षा दी और भारत सदाचारी राष्ट्र बने इसलिए भारत बौद्धमय बनाने की घोषणा की। इतना ही नहीं तो हमारी जागृति के लिए और हमारी कार्य करने की दिशा कैसी हो इसलिए उन्होंने साहित्य भी लिखा। बाबासाहेब का लेखन, भाषण और कार्य हमारा सबसे बड़ा प्रेरणास्त्रोत है। मानवता के लिए बाबासाहेब के अनंत उपकार है जिसे कभी भी भूला नहीं जा सकता।

ब्राह्मणवादी धर्म सभी बुराईयों की जड़ है। इस धर्म के ठेकेदारों ने झुठ को बार-बार बताया जिसे कालांतर में लोग सच मानने लगे। आज भारत में शिक्षा का विस्तार होने के बावजुद लोग उस झुठ को समझ नहीं पाये है। वह अंधेरे में ही भटक रहे है और जिवन को बर्बाद कर रहे है। पंडित-पुरोहित भी लोगों का अंधविश्वास कायम रखने की कोशीश कर रहे है ताकि उनका अधिपत्य बना रहे। जिस दिन लोग सत्य को जान लेंगे उस दिन इस देश से हिन्दु धर्म समाप्त हो जायेगा। सबसे बड़ा अंधविश्वास ईश्वर और आत्मा पर विश्वास करना है। ईश्वर और आत्मा पर विश्वास ही दुसरे सभी अंधविश्वासों का जन्मदाता है। अंधविश्वास समाप्त करने के काम करनेवाले लोग भी स्वयं अंधविश्वास से ग्रस्त है क्योंकि वह भी आत्मा और परमात्मा पर विश्वास करते है। वह अंधविश्वास रूपी पेड़ के जड़ को पानी दे रहे है और केवल पत्ते छांट रहे है। इस तरह वह भी लोगों को मुर्ख बना रहे है। भारत में बहुत कम लोग बुद्धीवादी है और बहुसंख्यक लोग मुर्ख है। मुर्खो को मुर्ख बनाना बहुत आसान है। मुर्खों को बुद्धीवादी बनाना बहुत कठीन है। भारत में इतनी बड़ी तादाद में मुर्ख होने का कारण हिन्दु धर्म है। धर्मांधता के कारण लोगों के दिमाग पर ताला लग गया है। भक्ति, पुजापाठ, संस्कार, त्यौहार, चमत्कार इत्यादि में उन्हें इतना व्यस्त कर दिया गया ताकि वह उसी के बारे में सोचता रहें और मुर्ख बने रहे। इससे उसे वास्तव में हानी हो रही है परन्तु पंडितों द्वार बताये गये लाभ के झुठे प्रलोभन के कारण वह इसे खुशी-खुशी कर रहे है। आदमी ने यदि बुद्धी का उपयोग किया तो इस मानसिक गुलामी से मुक्त हो सकता है, मुर्खता से मुक्त हो सकता है, सत्य को जान सकता है, अपना विकास कर सकता है और सुखी हो सकता है।

इस धर्म के जाल में केवल आम आदमी फसा नहीं है और केवल वही ब्राह्मणवाद का शिकार नहीं है। भारत के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मिडिया के कर्ता लोग भी इसके शिकार है। इसीलिए इस देश में विषमता बढ़रही है। अंधविश्वास बढ़रहा है, भाईचारा नहीं है और अन्याय-अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार , धार्मिक उन्माद और दंगे बढ़रहे है । गरीब और गरिब हो रहा और अमिर और अमिर हो रहा है। एक मानव का दुसरे मानव के प्रति प्रेम कम हो रहा है। नैतिकता घट रही है। न्याय मिलता नहीं है। सारे **दुराचार**

बढ़रहे है। इन सब पर हर भारतीय ने विचार करने की आवश्यकता है। यदि गहराई से विचार करेंगे तो पायेंगे कि इन सब बुराईयों का कारण ब्राह्मणवाद (विषमता) है और उसका जन्मदाता ब्राह्मणी धर्म है और उसके एजेंट पंडित - पुरोहित है। तब हमें अहसास होगा कि हमें किस तरह मानसिक गुलाम बनाया गया, हमारा कितना नुकसान किया गया और हमारा जीवन किस तरह बर्बाद किया गया। इस सत्य को जानने के बाद बुद्धीवादी आदमी ऐसे मानव-मानव में भेद करने वाले, आदमी को गुलाम बनाने वाले, आदमी का शोषण करने वाले आदमी में द्वेष पैदा करने वाले, आदमी पर अन्याय करने वाले, अनैतिकता फैलाने वाले धर्म को त्यागने के लिए छटपटायेगा। भारत में अब यह स्थिती निर्मित हो रही है। अनेक लोग धर्म परिवर्तन कर रहें है। इससे ब्राह्मणवाद समर्थक राज्यों के शासनकर्ताओं में घबराहट हो रही है। लोग धर्म परिवर्तन न कर सके इसलिए धर्मपरिवर्तन संबंधी कानुन बनाकर धर्मपरिवर्तन के लिए शर्ते रखी जा रही है और उन शर्तो का उलंघन करने पर कारावास और दंड का प्रावधान कर रही है। इसका ताजा उदाहरण मध्यप्रदेश सरकार का है। मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसा ही धर्म परिवर्तन संबंधी कानुन हाल ही में बनाया है। लोगों में दहशत फैलाने का काम भी हो रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण महाबोधी महाविहार पर आतंकवादी हमला है।

भारत को बुराईयों से मुक्त करने का और अमन चैन स्थापित करने एकमात्र रास्ता भारतीयों द्वारा धर्म परिवर्तन करने का है। जो मानव-मानव में प्रेम सिखाता हो, जो किसी प्रकार का भेद नहीं करता, जो अंधविश्वास से मुक्त करता है, जो विचार स्वातंत्र्यता देता है, जो आदमी को बुद्धीवादी और सत्य की खोज करने वाला बनाता है, जिसमें नैतिकता है, जिसमें सदाचार है, जिसमें मानवता की सेवा करना है, जिसमें प्रज्ञा-शिल-करूणा है, जो गरिबी का समर्थक नहीं है, जिसमें सत्य है, जिसमें न्याय है, जो व्यवहारिक है और जो आदमी को सुख की ओर ले जाता है ऐसे धर्म का स्विकार करने से ही मानवता प्रस्थापित होगी। यह सब चिजें केवल एकही धर्म में है, वह है, बुद्ध धम्म। बुद्ध धम्म का स्विकार करने से ही भारत में मानवता प्रस्थापित होगी और भारत का उद्धार होगा।

मानवता विरोधी शत्रु दुष्ट बुद्धी का है। उसने बुद्ध धम्म में मिलावट की है, मिलावट कर रहा है और भविष्य में भी मिलावट करेगा। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने बुद्ध साहित्य का गहन अध्ययन किया और बुद्ध की सही शिक्षा 'बुद्ध और उनका धम्म' इस ग्रंथ में लिखी है। इसी ग्रंथ को हमने प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में मानना चाहिये। बाबासाहेब ने यह भी बताया है कि बुद्ध धम्म को और अच्छी तरह समझने के लिए बुद्ध और उनका धम्म के साथ उनके द्वारा लिखित ग्रंथ 'क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति और बुद्ध या कार्लमार्क्स का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए हर बौद्ध ने इन तिन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। बाबासाहेब ने बौद्धों को सावधान भी किया है। उन्होंने 4 दिसंबर 1954 के भाषण में कहा था कि, बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर आधारित धम्म ग्रंथ बनना चाहिए। उन्होंने उस भाषण में जोर देकर कहा था कि ध्यान, साधना और अभिधम्म हमारे लिए घातक है। ब्राह्मणवादीयों ने इस घातक चिज को समझ लिया और उसे बौद्धों में बड़े पैमाने पर प्रसारित करना शुरू कर दिया। उन्होंने विपश्यना को बुद्ध की शिक्षा बताकर कुछ बौद्धों को उसकी ओर आकर्षित किया और वह ब्राह्मणवादीयों के जाल में फंस गये। सभी बौद्धों को यह जानकारी होनी चाहिये कि, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बुद्ध धम्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उनके द्वारा लिखित किसी भी ग्रंथ में तथा उनके द्वारा दिये गये किसी भी भाषण में विपश्यना को बुद्ध की शिक्षा नहीं बताया है तथा बुद्ध ने किसी भी प्रवचन में विपश्यना करना नहीं सिखाया है। बुद्ध के बाद बाबासाहेब सबसे बड़े मानव उद्धारक थे। बाबासाहेब ने भी कही भी और कभी भी विपश्यना करने की सलाह नही दी बल्की उसे घातक कहा। बौद्धों के मार्गदाता केवल और केवल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर है। इसलिए बौद्धोंने ब्राह्मणवादीयों के षड्यंत्र को समझना है और बाबासाहेब द्वारा बताये गये मार्ग पर चलना है, तभी हमारा कल्याण होगा, भारत बौद्धमय होगा और भारत का कल्याण होगा।

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
साई ट्रेडर्स, रायपुर

क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

गतांक से आगे...

VI

जाति के विरोध के मामले में बुद्ध ने जो शिक्षा दी, उसी को व्यवहार में भी लाए। उन्होंने वही किया, जिसे आर्यो के समाज ने करने से इंकार कर दिया था। आर्यो के समाज में शुद्र अथवा नीच जाति का मनुष्य कभी ब्राम्हण नही बन सकता था। किंतु बुद्ध ने जातिप्रथा के विरुद्ध केवल प्रचार ही नही किया, अपितु शुद्र तथा नीच जाति के लोगों को भिक्षु का दर्जा दिलाया, जिनका बौद्धमत में वही दर्जा है, जो ब्राम्हणवाद में ब्राम्हण का है।

'सर्वप्रथम, स्वयं अपने संघ के संबंध में, जिस पर केवल उनका ही पूर्ण नियंत्रण था, वह जन्म, व्यवसाय और सामाजिक दर्जे से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के लाभों और हानियों की पूर्णतः तथा नितांत उपेक्षा करते है, और मात्र आनुष्ठानिक अथवा सामाजिक असुचिता के मनमाने नियमों से उत्पन्न होने वाली बाधाओं और अयोग्यताओं को मिटा देते है।

उनके संघ के सर्वाधिक प्रख्यात सदस्यों में से एक था उपाली, जिसका उल्लेख संघ के नियमों के संबंध में स्वयं गौतम के बाद प्रमुख प्राधिकारी के रुप में किया जाता था, जो पहले नाई का काम करता था, जिसे घृणित व्यवसायों में से एक माना जाता है। इसी प्रकार बांधवो में से पुक्कुसा जाति का निम्न आदिवासी सुनीत था, जिसके पद्यों को थेरी गाथा में सम्मिलित करने के लिए चुना गया है। घोर नास्तिकता का प्रवर्तक सती, मच्छुआरे के पुत्रों में से था। इस जाति को भी बाद में निम्न जाति माना गया और तब भी निर्दयता के कारण उस व्यवसाय को खास तौर से घृणित माना जाता था। नंदा एक चरवाहा था। दो पंथको का जन्म एक अच्छे परिवार की कन्या का एक दास के साथ सहवास से हुआ (जिसके कारण मनु के सुत्र 31 में निर्धारित नियमानुसार, वे वास्तव में जाति-बहिष्कृत थे)। कापा एक मृग-आखेटक की पुत्री थी। पुन्ना और पुन्निका दास कन्याएं थी। सुमंगलमाता श्रमिकों की पुत्री और पत्नी थी, और शुभा लुहार की बेटी थी। और भी उदाहरण निश्चित रुप से दिए जा सकते है और ग्रंथो के प्रकाशन के बाद अन्य के बारे में भी पता चलेगा।

इस बात से कोई ऐतिहासिक अंर्तदृष्टि प्रकट नही होती की संख्या की अल्पता का उपहास किया जाए और यह कहा जाए कि कल्पित बौद्धिकता अथवा उदारता मात्र एक बहाना है। तथ्यों से स्थिती स्वयं स्पष्ट हो जाती है, और संघ के नीच जाति के सदस्यों का प्रतिशत संभवतः शेष आबादी की तुलना में तिरस्कृत जातियों और सिप्पा लोगों के प्रतिशत के अच्छे अनुपात में था। इसी प्रकार थेरी गाथा में वर्णित साठ थेरियों की सामाजिक स्थिती का हमें पता है, जिनमें से पांच का उल्लेख ऊपर किया है, अर्थात संपूर्ण संख्या के साढ़े आठ प्रतिशत नीच जाति में जन्में थे। इसकी काफी संभावना है कि यह सुचना उस अनुपात के बारे में है, जो एक जैसी सामाजिक स्थिती वाले व्यक्तियों की शेष जनसंख्या से था।

जिस प्रकार बुद्ध ने शुद्रों और निच जाति के मनुष्यों को भिक्षुओं को सर्वोच्च दर्जा दिलाकर उनकी स्थिती को उन्नत किया, उसी प्रकार उन्होंने स्त्रियों की स्थिती को भी ऊंचा उठाया। आर्यो के समाज में स्त्रियों और शुद्रों को समान स्थिती प्रदान की गई थी, और आर्यों के साहित्य में स्त्रियों और शुद्रों के बारे में साथ-साथ वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनका समान स्तर है। दोनों को सन्यांस लेने का कोई अधिकार नही था, जब कि संन्यास ही निर्वाण के लिए एकमात्र मार्ग था। स्त्रियां और शुद्र निर्वाण से परे थे। बुद्ध ने स्त्रियों के विषय में इस नियम को वैसे ही भंग किया, जिस प्रकार उन्होंने शुद्रो के मामले में किया था। जिस प्रकार एक शुद्र भिक्षु बन सकता था, उसी प्रकार एक स्त्री संन्यासिनी बन सकती थी। यह आर्यो के समाज की दृष्टि में उसे सर्वोच्च दर्जा प्रदान करना था।

बुद्ध ने आर्यों के समाज के नेताओं के विरुद्ध जिस अन्य प्रश्न पर लड़ाई लड़ी, वह अध्यापक और अध्यापन के शीलाचार का प्रश्न था। आर्यों के समाज के नेताओं की यह

धारणा थी कि ज्ञान और शिक्षा का विशेषाधिकार ब्राम्हणों, क्षत्रियों और वैश्यों को प्राप्त है। शुद्रो को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नही है। उनका आग्रह था कि अगर उन्होंने स्त्रियों अथवा ऐसे पुरुषों को पढ़ाया जो द्विज नही है, तो इससे सामाजिक व्यवस्था के लिए भय उत्पन्न हो जाएगा। बुद्ध ने आर्यों के इस सिद्धांत की निंदा की। जैसा कि राइस डेविड्स ने इस प्रश्न पर कहा है : 'हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, हर ऐसे व्यक्ति को, जो कुछ योग्यताओं से संपन्न है, अध्यापन की अनुमति दी जानी चाहिए, और यदि वह पढ़ाता है तो उसे सबको सबकुछ पढ़ाना चाहिए, कुछ भी शेष नही रखना चाहिए, और किसी को उससे वंचित नही रखा जाना चाहिए।' इस संबंध में बुद्ध और ब्राम्हण लोहिक्क के बीच संवाद का उल्लेख किया जा सकता है, जिसे लोहिक्क सुत्त के रुप में जाना जाता है।

लोहिक्क सुत्त

(अध्यापन के शीलाचार की कुछ बातें)

१. इस प्रकार मैंने सुना है। एक बार भी संख्या में संघ के सदस्यों के साथ लगभग पांच सौ भिक्षुकों सहित कौशल जनपदों की यात्रा के दौरान परम श्रेष्ठ साल वाटिका (साल वृक्षों की पंक्ति से घिरे गांव) में पहुंचे। उस समय, ब्राम्हण लोहिक्क साल-वाटिका में सुस्थापित थे। वह जीवन की हलचल से गुंजित स्थल था, जहां पर्याप्त हरित भूमि थी, वन्य भूमि थी और अनाज था। कौशल नरेश प्रसेनजित ने उपहार स्वरुप यह क्षेत्र उन्हें इस अधिकार के साथ प्रदान किया था, मानो वह स्वयं राजा हों।

2. अब, उस समय विचारमग्न ब्राम्हण लोहिक्क निम्नलिखित कुत्सिंत बात सोच रहा था : 'मान लो, कोई श्रमण अथवा ब्राम्हण किसी उच्च स्थिती (मस्तिष्क की) को प्राप्त कर लेता है, तो उसे उसके बारे में किसी को नही बताना चाहिए। क्योंकि कोई मनुष्य दूसरे के लिए क्या कर सकता है? दूसरों को बताना तो ऐसा ही होगा, मानों कि कोई मनुष्य एक पुराने बंधन तोड़कर स्वयं को नए बंधन में फंसा ले। उसी प्रकार मैं कहता हूं कि यह (दूसरों को बताने की इच्छा) एक तरह की लालसा है। क्योंकि कोई मनुष्य दूसरे के लिए क्या कर सकता है?'

3. अब, ब्राम्हण लोहिक्क ने समाचार सुना : 'लोग कहते है कि शाक्य कुल के श्रमण गौतम जो धार्मिक जीवन अंगीकार करने के लिए शाक्यों से अलग हो गए थे। अब अपने संघ के बहुत से बांधवो सहित कौशल के जिलों की यात्रा करते हुए साल-वाटिका में पहुच गए है। अब जहां तक श्रद्धेय गौतम का संबंध है, उनकी इतनी ख्याति है कि विदेश में भी उनकी ऐसी चर्चा है : महाभाग एक अर्हत, पूर्ण प्रबुद्ध, विवेक और सौजन्य से परिपूर्ण लौकिक ज्ञान से पुष्ट, मार्गदर्शन के इच्छुक नश्वरों के लिए अनुपम पथदर्शक, देवों और मनुष्यों के लिए उपदेशक, वरदान प्राप्त है। और वह स्वयं देवताओं, ब्राम्हणों और असम प्रदेश की पहाड़ियो पर मर भाषा बोलने वाले लागों के ऊपर वाले लोक और उसके नीचे संन्यासियो तथा ब्राम्हणों, राजाओं और प्रजाजन वाले लोक सहित संपूर्ण सृष्टि को पूर्ण रुप से इस तरह जानते और देखते है, मानो वह उनके सामने हों, और उस संपूर्ण सृष्टि को जानने के बाद, वह अपने ज्ञान की जानकारी दूसरों को कराते है। सत्य जो अपने मूल में सुंदर है, प्रगति में सुंदर है, संपूर्णता में सुंदर है, उसी की उद्घोषणा वह भावना और शब्दों में करते है, वह उच्चतर जीवन की पूर्णता और पवित्रता का भरपूर ज्ञान कराते है। और उस प्रकार के अर्हत के दर्शनार्थ जाना अच्छा है।'

4. तब लोहिक्क ब्राम्हण ने भेषिक नाई से कहा : 'आओ भेषिक, वहां जाओं जहां श्रमण गौतम टिके हुए है, और वहां जाकर मेरे नाम से उनसे पुछना कि क्या वह रोग और अस्वस्थता से मुक्त है, और स्वास्थ और शक्ति से पूर्ण सुविधाजनक स्थिती में है, और इस प्रकार कहना : क्या श्रद्धेय गौतम अपने संघ के बांधवो सहित कल का भोजन लोहिक्क ब्राम्हण से ग्रहण करना स्विकार करेंगे?

5. भेषिक नाई ने लोहिक्क ब्राम्हण के शब्दों का पालन करते हुए कहा, 'बहुत अच्छा, श्रीमन और जैसा कहा गया था, उसने वैसा ही किया। और परम श्रेष्ठ ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना को स्विकार कर लिया।

6. और जब भेषिक नाई ने देखा कि परम श्रेष्ठ ने सहमति दे दी है, वह अपने स्थान से उठा, और अपना दायां हाथ परम श्रेष्ठ की ओर करते हुए वहां से चला गया और लोहिक्क ब्राम्हण के पास पहुंचकर उससे इस प्रकार बोला : 'श्रीमन, आपके आदेशानुसार हमने परम श्रेष्ठ को संबोधित किया और परम श्रेष्ठ आने की सहमति दे दी है।'

7. तब रात्रि के बीत जाने पर लोहिक्क ब्राम्हण ने अपने निवास-स्थान पर पुष्ट और नरम, दोनों ही प्रकार का स्वादिष्ट

भोजन तैयार करवाया और भेषिक नाई से कहा : 'भेषिक, वहां जाआ जहां श्रमण गौतम टिके हुए है, और वहां पहुंचकर यह कहते हुए समय की घोषणा कर दो : हे गौतम, समय हो गया है, और भोजन तैयार है।'

भेषिक नाई ने लोहिक्क ब्राम्हण के शब्दों का पालन करते हुए कहा, 'बहुत अच्छा, श्रीमन, और आदेशानुसार वैसा ही किया। और परम श्रेष्ठ, जो पातः ही तैयार हो गए थे, अपना पात्र लेकर संघ के बांधवो सहित साल-वाटिका की ओर चल पडे।

8. अब, ज्यों ही व चले, भेषिक नाई परम श्रेष्ठ के पीछे-पीछे चलता रहा। और उसने परम श्रेष्ठ से कहा :

'लोहिक्क ब्राम्हण के दिमाग में निम्नलिखित कुत्सित विचार घर कर गया है, मान लो कि कोई श्रमण अथवा ब्राम्हण किसी उच्च स्थिती (मस्तिष्क की) को प्राप्त कर लेता है, तो उसके बारे में किसी को नही बताना चाहिए। क्योंकि कोई मनुष्य दूसरे के लिए क्या कर सकता है? दूसरों को बताना तो ऐसा ही होगा, मानो कि कोई मनुष्य एक पुराने बंधन को तोड़कर स्वयं को नए बंधन में फंसा लेता ले। उसी प्रकार मैं कहता हूं कि यह (दूसरों केा बताने की इच्छा) एक तरह की लालसा है।' यह अच्छा होता, श्रीमन, यदि परम श्रेष्ठ उसके मस्तिष्क को उस कुत्सित विचार से मुक्त कर देते। क्योंकि कोई मनुष्य दूसरे के लिए क्या कर सकता है?'

'वही ठीक रहेगा, भेषिक, वही ठीक होगा।

9. और परम श्रेष्ठ लोहिक्क ब्राम्हण के निवास स्थान पर गए और अपने लिए नियत आसन पर बैठ गए। और लोहिक्क ब्राम्हण ने बुद्ध के नेतृत्व में उनके संघ को संतुष्ट किया, अपने ही हाथों से पुष्ट और नरम, दोनो ही प्रकार का स्वादिष्ट भोजन तब तक परोसा, जब तक कि उन्होंने और ग्रहण करने से इंकार नही कर दिया। और जब परम श्रेष्ठ भोजन कर चुके, तो उन्होंने अपना पात्र धोया और हस्त-प्रक्षालन किया। लोहिक्क ब्राम्हण ने नीचे आसन ग्रहण किया और उनके पार्श्व में बैठ गया और उसके इस प्रकार आसीन हो जाने पर परम श्रेष्ठ ने उससे निम्नानुसार कहा : 'लोहिक्क, जो कुछ कहते है, क्या वह सच है कि तुम्हारे दिमाग में निम्नलिखित कुत्सित विचार उत्पन्न हो गया है (और उन्होंने उपरोक्त कथनानुसार वह विचार प्रकट किया)।

'ऐसा ही है, गौतम।'

10. 'अब तुम क्या सोचते हो, लोहिक्क? क्या तुम साल-वाटिका में सुस्थापित नही हो?

'हां, ऐसा है, गौतम।'

'तब, लोहिक्क, मान लो, कोई इस प्रकार कहे : 'साल-वाटिका' में लोहिक्क ब्राम्हण का राज्य है, उसे अकेले ही साल-वाटिका के संपूर्ण राजस्व और उत्पाद का उपभोग करने दो, किसी और को कुछ न मिले। ऐसी बात कहने वाला व्यक्ति खतरनाक होगा या नही, क्योंकि वह उन लोगों को छेड़ रहा है, जो तुम्हारे अधीन जीवन यापन करते है?'

'हां, गौतम, वह खतरनाक होगा।'

'और भय उत्पन्न करने वाला क्या वह व्यक्ति उनकी भलाई के लिए सहानुभूति रखता होगा या नही?'

'वह उनकी भलाई के बारे में नही सोचेगा, गौतम।'

'और उनकी भलाई की बात न सोचते हुए क्या उसका ह्रदय उनके प्रेम की ओर उन्मुख होगा अथवा उनसे शत्रुता रखेगा?'

'शत्रुता रखेगा, गौतम।'

किंतु यदि किसी का ह्रदय शत्रुता में निमग्न है, तो वह अविश्वसनिय सिद्धांत है, अथवा विश्वसनीय?'

'वह अश्विसनीय सिद्धांत है, गौतम।'

'अब अगर, लोहिक्क, कोई मनुष्य अश्विसनीय सिद्धांत का मानने वाला है, तो मैं घोषणा करता हूं कि उसकी नियती यह होगी की दो भावी जन्मों में एक बार वह या तो पाप मोचन के लिए जन्म लेगा अथवा एक पशु के रुप मे उसका पुनर्जन्म होगा।'

11. 'अब तुम क्या सोचते हो, लोहिक्क? क्या कौशल-नरेश प्रसेनजित के अधिकार में काशी और कौशल नही है?'

'हां, है, गौतम।'

'तो, मान लो, लोहिक्क, यदि कोई इस प्रकार कहे :

'कौशल-नरेश प्रसेनजित के अधिकार में काशी और कौशल है, उसे काशी और कौशल के संपूर्ण राजस्व और उत्पाद का उपभोग करने दो, अन्य किसी को कुछ न मिले। ऐसी बात कहने वाला व्यक्ति खतरनाक होगा या नही, क्योंकि उसने कौशल-नरेश प्रसेनजित के अधीन जीवनयापन करने वाले मनुष्यों को, तुम्हें औरर अन्य लोगों को छोड़ा है।'

'हां, गौतम, वह खतरनाक होगा।'

'और भय उत्पन्न करने वाला वह व्यक्ति उनकी भलाई के

लिए सहानुभूति रखता होगा या नही?'

'वह उनकी भलाई के बारे में नही सोचेगा, गौतम?'

'और उनकी भलाई की बात न सोचते हुए क्या उसका हृदय उनके प्रेम की ओर उन्मुख होगा अथवा उनसे शत्रुता रखेगा?'

'शत्रुता रखेगा, गौतम।'

'किंतु यदि किसी का हृदय शत्रुता में निमग्न है, तो वह अविश्वसनीय सिद्धांत है अथवा विश्वसनीय?'

'वह अविश्वसनीय सिद्धांत है, गौतम।'

'अब अगर, लोहिक्क, कोई मनुष्य अविश्वसनीय सिद्धांत का मानने वाला है, तो मैं घोषणा करता हू कि उसकी नियति यह होगी कि दो भावी जन्मों में एक बार वह या तो पाप मोचन के लिए जन्म लेगा अथवा एक पशु के रुप में उसका पुनर्जन्म होगा।

12 और 14. 'इसलिए, लोहिक्क, तुम स्विकार करते हो कि वह जो यह कहता है कि साल-वाटिका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम्हें वहां के संपूर्ण राजस्व और उत्पाद का उपभोग करना चाहिए और अन्य किसी को कुछ नही देना चाहिए, और वह जो यह कहता है कि कौशल-नरेश प्रसेनजित का काशी और कौशल पर अधिकार है, इसलिए उन्हें स्वयं वहां के संपूर्ण राजस्व और उत्पाद का उपभोग करना चाहिए औरर अन्य किसी को कुछ नही देना चाहिए, वह तुम्हारे अधीनस्थ रहने वालों के लिए भय उत्पन्न करेगा अथवा नरेश प्रसेनजित के अधीन रहने वाले तुम्हारे और अन्य लोगों के लिए भय उत्पन्न करेगा, और जो इस प्रकार दूसरों के लिए भय उत्पन्न करते है, उनमें उनके प्रति सहानुभूति का अभाव होता है। और जिस मनुष्य के प्रति सहानुभूति का अभाव है, उसका हृदय शत्रुता में निमग्न हो जाता है, और अपने हृदय को शत्रुता में निमग्न कर लेना अविश्वसनीय सिद्धांत है।

13. और 15. 'ठीक ऐसे ही, लोहिक्क, जो यह कहता है : 'मान लो, कोई श्रमण अथवा ब्राम्हण किसी उच्च स्थिती (मस्तिष्क की) को प्राप्त कर लेता है, तो क्या उसे उसके बारे में किसी और को नही बताना चाहिए? क्योंकि कोई मनुष्य दूसरे के लिए क्या कर सकता है? दूसरों को बताना तो ऐसा ही होगा, मानो कि कोई मनुष्य एक पुराने बंधन को तोड़कर स्वयं को नए बंधन में फंसा ले।' उसी प्रकार मैं कहता हूं कि दूसरों को बताने की यह इच्छा एक तरह की लालसा है। जो इस प्रकार बात करता है, वह उन परिजनों के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेगा, जिन्होंने सत्य पर विजय प्राप्त कर ली है- उदाहरण के तौर पर धर्मान्तरण का फल प्राप्त कर चुके है, अथवा एक बार उसमें वापस जाने, अथवा कभी वापस न जाने, और यहां तक कि अर्हत के रुप में दिक्षित हो जाने की स्थिती में पहुच चुके है, वह उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेगा, जो ऐसे आचरण को फलित कर रहे है, जिसके परिणामस्वरुप स्वर्ग में परमेश्वर्य की स्थितीयों में पुनर्जन्म संभव है। किंतु उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करके उनकी भलाई के प्रति उसकी सहानुभूति नही होगी, उनकी भलाई के प्रति सहानुभूति के अभाव में उसका हृदय शत्रुआ में निमग्न हो जाएगा, जो कि अविश्वसनीय सिद्धांत है। अब, लोहिक्क, अगर कोई मनुष्य अविश्वसनीय सिद्धांत को मानता है, तो मैं घोषणा करता हूं कि उसकी स्थिती यह होगी कि दो भावी जन्मों में एक बार वह या तो पाप-मोचन के लिए जन्म लगा अथवा एक पशु के रुप में उसका जन्म होगा।

16. 'लोहिक्क, विश्व में ये तीन प्रकार के गुरु है, जो दोषारोपण के योग्य है, और जो भी इस प्रकार के गुरु को दोषी बताएगा, भर्त्सना न्यायोचित होगी, तथ्यों और सत्य के अनुरुप, अनुचित नही होगी। यह तीन प्रकार क्या है?

सर्वप्रथम, लोहिक्क, एक इस प्रकार का गुरु होता है, जो श्रमण के उस लक्ष्य को प्राप्त नही कर सका है, जिसके कारण उसने गृहत्याग किया और गृहविहिन जीवन अंगीकार किया। उस लक्ष्य को स्वयं प्राप्त किए बिना वह अपने श्रोताओं को सिद्धांत (धम्म) का उपदेश देता है और कहता है : 'यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, इससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी।' तब उसके वे श्रोता न तो उसे सुनते है, न उसके शब्दों की ओर ध्यान देते है, और न उसके ज्ञान के माध्यम से चित्त को स्थिर कर पाते है, वे अपने गुरु की शिक्षा से अलग, अपने ही मार्ग पर चलते है। इस प्रकार के गुरु की भर्त्सना की जानी चाहिए, और उसे इन तथ्यो की जानकारी कराते हुए यह भी बताना चाहिए : 'तुम उस पुरुष की तरह हो, जो ऐसी स्त्री से प्रणय निवेदन करेगा, जो कि उसका तिरस्कार करती है, अथवा उसका आलिंगन करेगा जो उससे अपना मुख फेर लेती है।' मैं कहता हूं, तुम्हारा यह लोभ भी उसी प्रकार का है (मनुष्यों के गुरु का ढोंग रचते रहना, जब कि कोई ध्यान नही देता, वे तुम्हारा विश्वास ही नही करते)। तब किस लिए, कोई मनुष्य दूसरे के लिए कुछ करे?

लोहिक्क, यह विश्व में पहले प्रकार का गुरु है, जो दोषारोपण के योग्य है। और जो कोई भी ऐसे को दोषी बताएगा, उसकी भर्त्सना न्यायोचित होगी, तथ्यों और सत्य के अनुरुप, अनुचित नही होगी।

17. दूसरे स्थान पर, लोहिक्क, एक इस प्रकार का गुरु होता है, जो श्रमण के उस लक्ष्य को प्राप्त नही कर सका है, जिसके कारण उसने गृहत्याग किया और गृहविहिन जीवन अंगीकार किया। उस लक्ष्य को स्वयं प्राप्त किए बिना वह अपने श्रोताओं को सिद्धांत का उपदेश देता है और कहता है : 'यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, इससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी।' और उसके शिष्य सुनते है, उसके शब्दो पर ध्यान देते है, कही हुई बात को समझ कर वे चित्त की स्थिरता प्राप्त करते है, और गुरु के उपदेश से अलग वे अपने ही मार्ग पर नही चलते। इस प्रकार के गुरु की भर्त्सना की जानी चाहिए, और उसे इन तथ्यों की जानकारी कराते हुए यह भी बताना चाहिए : 'तुम उस मनुष्य की तरह हो, जो अपने खेत की तरफ ध्यान न देकर अपने पड़ोसी के खेत की निराई के बारे में सोचेगा।' मैं कहता हूं, तुम्हारा यह लोभ भी उसी प्रकार का है। (दूसरों को शिक्षा देते रहना, जब कि तुमने स्वयं को शिक्षित नही किया है)। तब एक मनुष्य दूसरे के लिए क्या कर सकता है?

लोहिक्क, यह विश्वास में दूसरे प्रकार का गुरु है, जो दोषारोपण के योग्य है और जो भी ऐसे गुरु की भर्त्सना करेगा, उसकी भर्त्सना स्थिती न्यायोचित होगी, तथ्यों और सत्य के अनुरुप, अनुचित नही होगी।

18. और पुनः लोहिक्क, तीसरे स्थान पर एक इस प्रकार का गुरु होता है, जो स्वयं श्रमण के उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, जिसके कारण उसने गृहत्याग किया और गृहविहिन जीवन अंगीकार किया। उस लक्ष्य को स्वयं प्राप्त कर चुकने के बाद वह अपने श्रोताओं को सिद्धांत का उपदेश देता है और कहता है : 'यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, इससे तुम्हे प्रसन्नता प्राप्त होगी।' किंतु उसके वे श्रोता न तो उसकी बात सुनते है, न उसके शब्दों पर ध्यान देते है, न उसकी बात को समझकर चित्त की स्थिरता प्राप्त करते है। गुरु के उपदेश से अलग वे अपने ही मार्ग पर चलते है। इस प्रकार के गुरु की भर्त्सना की जानी चाहिए और उसे इन तथ्यों की जानकारी देते हुए यह भी बताना चाहिएः 'तुम उस मनुष्य की तरह हो जो पुराने बंधन को तोड़कर स्वयं को नए बंधन में फंसा लेता है। मैं कहता हूं, तुम्हारा लोभ उसी प्रकार का है (शिक्षा देते रहना, जब कि तुमने शिक्षा देने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित नही किया है) तब किसलिए , एक मनुष्य दूसरे के लिए कुछ करे?

लोहिक्क, विश्व में यह तिसरे प्रकार का गुरु है, जो दोषारोपण के योग्य है। और जो भी इस प्रकार के गुरु को दोषी बताएगा, उसकी भर्त्सना न्यायोचित होगी, तथ्यों और सत्य के अनुरुप, अनुचित नही होगी। और, लोहिक्क, ये तीन प्रकार के गुरु है, जिनके बारे में मैंने बताया।

19. और जब वह इस प्रकार बोल चुके, लोहिक्क ब्राम्हण परम श्रेष्ठ से इस प्रकार बोले : 'लेकिन, गौतम, क्या विश्व में इस प्रकार का भी कोई गुरु है, जो दोषारोपण के योग्य न हो?

'हां, लोहिक्क, विश्व में एक ऐसा गुरु है, जो दोषारोपण के योग्य नही है।'

'और, गौतम, वह किस प्रकार का गुरु है?

(इसका उत्तर ऊपर दिए गए व्याख्यात्मक शब्दों के रुप में श्रमण-फल में है) यह निम्नानुसार :

1. तथागत (जिसने सत्य पर विजय प्राप्त कर ली हो) का अविर्भाव, उनके उपदेश, श्रोता के धर्मान्तरण और उनके द्वारा गृहविहिन का अंगीकार किया जाना।
2. शील का सुक्ष्म विवरण, जिसका वह पालन करता है।
3. हृदय का विश्वास, जो वह अपने व्यवहार द्वारा प्राप्त करते है।
4. 'इंदियो के द्वारा सुरक्षित है' के संबंध में अनुच्छेद।
5. 'सावधान और आत्मलीन' के संबंध में अनुच्छेद।
6. थोडे से संतुष्ट, जीवन की सादगी के संबंध में अनुच्छेद।
7. उद्धार, असंयमित स्वभाव, आलस्य, चिंता और विमूढ़ता के संबंध में अनुच्छेद।
8. इस मुक्ति के फलस्वरुप प्राप्त आनंद और शांति जिससे उसका संपूर्ण अस्तित्व परिपूर्ण हो जाता है, के संबंध में अनुच्छेद।
9. चार हर्षोन्माद (गाथा) के संबंध में अनुच्छेद।
10. ज्ञान से उत्पन्न अंतदृष्टि के संबंध में अनुच्छेद (प्रथम मार्ग का ज्ञान)।

11. चार महान सत्यों, मादक द्रव्यो-लोभ, मोह, भविष्य, अज्ञानता का विनाश-और अर्हंत के पद की प्राप्ति के संबंध में अनुच्छेद।

टेक के साथ, अंतिम अनुच्छेद इस प्रकार हैः

'और गुरु, चाह कोई भी हो, लोहिक्क, जिसके अधीन शिष्य इतनी उत्कृष्टता प्राप्त करता है, वैसे गुरु पर विश्व में कोई दोषारोपण नही कर सकता। और ऐसे गुरु पर जो भी दोषारोपण करेगा, उसकी भर्त्सना न्यायोचित नही होगी-तथ्यों अथवा सत्य के अनुरुप नही होगी, और उसका समुचित आधार नही होगा।'

78. और जब वह इस प्रकार बोल चुके, तो लोहिक्क ब्राम्हण ने परम श्रेष्ठ ो कहा : 'किसी मनुष्य को कोई उसके सिर के बालो से खींचकर पकड़ ले और उसे उठाकर वापस दृढ़भूमि पर सुरक्षित रख दे, ठीक वैसे ही पाप विमोचन स्थल पर गिरते हुए मुझे उठाकर श्रद्धेय गौतम ने वापस भूमि पर रख दिया है। परम श्रेष्ठ, हे गौतम, आपके मुख से निकले शब्द परम श्रेष्ठ है। ठीक ऐसे ही, जैसे कोई मनुष्य किसी फेंकी हुई चीज को फिर से स्थापित करे, अथवा उसे प्रकट करे जो कुछ छिपाया गया हो, अथवा भटके हुए को सही मार्ग दिखाए, अथवा अंधेरे में प्रकाश लाए जिससे आंखो वाले बाह्य रुपों को देख सके- ठीक उसी प्रकार श्रद्धेय गौतम ने मुझे विभिन्न रुपों में सत्य का ज्ञान कराया है। और मैं भी सत्य और संघ के लिए अपने पथप्रदर्शक के रुप में श्रद्धेय गौतम की शरण में आता हूं। श्रद्धेय गौतम, मुझे एक ऐसे शिष्य के रुप में स्विकार करें, जिसने आज से जीवन पर्यंत उन्हें अपना पथप्रदर्शक बना लिया है।'

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

बेडशीट्स - ब्लँकेट - कर्टन क्लाथ

विजय हॅन्डलुम

एकच भाव
कमीत कमी भाव

उडाणपुल के पास, कमाल चौक,
नागपुर-४४० ०१७.

Mob. 9881941230

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

SHREE RAM TRACTORS

AUTHORISED DEALER : EICHER TRACTORS (Sales, Service & Spares)

Near Nandai Chowk, Balod Road, Rajnandgaon, (C.G.)
Ph. : 8223004010, Mo. 8223004001

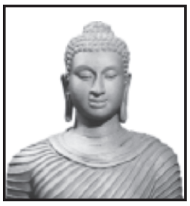

बुद्ध और उनका धम्म

लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

धम्मचक्र प्रवर्तन

२. धम्मचक्र प्रवर्तन

1. कुशल-क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया -- क्या आप अब भी तपश्चर्या तथा काया-क्लेश में विश्वास रखते है ?''
2. बुद्ध ने कहा --दो सिरे की बातें है, दोनो किनारों की-एक तो काम-भोग का जीवन और दूसरा काया-क्लेश का जीवन।
3. एक का कहना है, खाओ पीयो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है। दूसरे का कहना है तमाम वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को आदमी की शान के योग्य नहीं माना।
4. वे मध्यम-मार्ग को मानने वाले थे --बीच का मार्ग; जो कि न तो कामभोग का मार्ग है और न काया-क्लेश का मार्ग है।
5. बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया --मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक किसी के मन में पार्थिव वा स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी, तब तक क्या उसका समस्त काया-क्लेश व्यर्थ नहीं होगा ? उनका उत्तर था--'जैसा आप कहते है वैसा ही है।''
6. ''यदि आप काया-क्लेश द्वारा काम-तृष्णा को शान्त नहीं कर सकते तो काया-क्लेश का दरिद्री जीवन बिताने से आप अपने को कैसे जीत सकते हैं ?''
7. ''जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम-तृष्णा से मुक्त होंगे, तब आप को काम-भोग की कामना न रहेंगी, और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना-पीना ग्रहण करें।
8. ''सभी तरह की काम-वासना उत्तेजक होती है। कामुक अपनी काम वासना का गुलाम होता है। सभी काम-भोगों के चक्कर में पड़े रहना गँवारपन और नीच कर्म है। लेकिन मैं तुम्हे कहता हूं कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाये रखना एक कर्तव्य है। अन्यथा तुम अपने मनोबल को दृढ़बनाये न रख सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्ज्वलित न रह सकेगा।
9. हे परिव्राजको इस बात को समझ लो कि आदमी को इन दोनों अन्त की बातों से सदा बचना चाहिये -- एक तो उन चीजों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम-भोग सम्बन्धी तृष्णा पर निर्भर करता है -- यह एक बहुत निम्न कोटि की बात है; अयोग्य है, हानिकर है तथा दूसरी और तपश्चर्या अथवा काया-क्लेश से, क्योंकि वह भी कष्ट-प्रद है, अयोग्य है तथा हानिकर है।[2]
10. इन दोनों अन्तों से, इन दोनों सिरे की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग है -- बीच का रास्ता। यह समझ लो कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेशक हूँ।
11. पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे यह नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहे। इसलिये उन्होंने प्रश्न किया --जब हम आपका साथ छोड़कर चले आये, उस के बाद से आप कहां कहां रहे क्या क्या किया? तब बुद्ध ने उन्हे बताया कि किस प्रकार 'गया' पहुँचे , कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और कैसे चार सप्ताह की निरन्तर समाधि के बाद उन्हें वह नया बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नये मार्ग का आविष्कार कर सके।
12. यह सुना तो परिव्राजक उस नये-मार्ग को विस्तारपूर्वक जानने के लिये अत्यन्त उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें बतायें।
13. बुद्ध ने स्वीकार किया।
14. बुद्ध ने पहली बात यह बताई कि उनके सद्धम्म को आत्मा, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके

सद्धम्म को मरने के बाद (आत्मा का) क्या होता है इससे कुछ सरोकार नहीं है। उनके सद्धम्म को कर्म-काण्ड के क्रिया-कलापों से भी कुछ लेना-देना नहीं।

15. बुद्ध के धम्म का केन्द्र-बिन्दु है आदमी और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिये ?

16. बुद्ध ने कहा, यह उनकी पहली स्थापना है।

17. उनकी दूसरी स्थापना है कि आदमी दुःखी हैं, कष्ट में हैं और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुःख से भरा पड़ा है और धम्म का उद्देश इस दुःख का नाश करना ही है। इसके अतिरिक्त सद्धम्म और कुछ नहीं है।

18. दुःख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुःख के नाश करने का उपाय -- यही धम्म की आधार शिला है। [3]

19. धम्म के लिये एकमात्र यही सही आधार हो सकता है। जो धम्म इस प्राथमिक बात को भी अंगीकार नहीं कर सकता, धम्म ही नहीं है।

20. हे परिव्राजको! जो भी श्रमण या ब्राह्मण (धर्मोपदेष्टा) यह भी नहीं समझ पाते कि संसार में दुःख है और उस दुःख के नाश का उपाय है। ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण-ब्राह्मण ही नहीं हैं, न वे अपने को ज्येष्ठ -श्रेष्ठ समझने वाले इतना भी समझ पाये हैं कि धम्म का सही अर्थ क्या है ?

21. तब परिव्राजकों ने पूछाः दुःख और दुःख का विनाश ही यदि आप के धम्म की आधार-शिला है तो हमें बताइये कि आप का धम्म कैसे दुःख का नाश कर सकता है?

22. तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी 1) पवित्रता (विशूद्धि) के पथ पर चले, (2) धम्म(सदाचार) के पथ पर चले, (3) शील (सद्‌गुण) के मार्ग पर चले तो इस दुःख का एकान्तिक नाश हो सकता है।

23. और उन्होने कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है।

3. धम्मचक्र प्रवर्तन

पवित्रता का (विशुद्धी) मार्ग

1. परिव्राजकों ने तब बुद्ध से अपने धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की।

2. बुद्ध ने इसे स्वीकार किया।

3. उन्होंने सब से पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया।

4. उन्होंने परिव्राजकों से कहा 'कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है उसके लिये यह आवश्यक है कि वह कोई अच्छाई का माप-दण्ड स्वीकार करे।

5. ''मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के पांच माप दण्ड हैं - (1) किसी प्राणी की हिंसा न करना (2) चोरी न करना अर्थात् दूसरे की चीज को अपनी न बना लेना, (3) व्यभिचार न करना, (4) असत्य न बोलना, (5) नशीली चीजों का ग्रहण न करना।

6. मैं कहता हूँ कि हर आदमी के लिये यह परमावश्यक है कि वह इन पांच शीलों को स्वीकार करे। क्योंकि हर आदमी के लिये जीवन का कोई मापदण्ड होना चाहिये, जिससे वह अपनी अच्छाई-बुराई को माप सके; मेरे धम्म के अनुसार ये पांच शील जीवन की अच्छाई-बुराई मापने के माप-दण्ड हैं।

7. दुनिया में हर जगह पतित (गिरे हुए) लोग होते ही हैं। लेकिन पतित दो तरह के होते है; एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई माप-दण्ड होता है, दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई माप-दण्ड ही नही होता।

8. जिसके जीवन का कोई माप-दण्ड नहीं होता वह 'पतित' होने पर भी यह नहीं जानता कि वह 'पतित' है। इसलिये वह हमेशा 'पतित' ही रहता है। दूसरी ओर जिसके जीवन का कोई माप-दण्ड होता है वह हमेशा इस बात की कोशिश करता रहता है कि पतितावस्था से ऊपर उठे। क्यों ? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिर गया है।

9. आदमी के लिये जीवन-सुधार का कोई माप-दण्ड होने और न होने में यही बड़ा अन्तर है। आदमी अपने स्तर से नीचे गिर पड़े यह इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी यह कि, आदमी के जीवन का कोई स्तर ही न हो।

10. हे परिव्राजको। तुम पूछ सकते हो कि इन पाँच शीलों को जीवन का माप-दण्ड ही क्यों स्वीकार किया जाय ?

11. इस प्रश्न को उत्तर तुम्हे स्वयं ही मिल जायेगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो - क्या यह शील व्यक्ति के लिये कल्याणकारी है ? और साथ ही यह भी पूछों, क्या इन शीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है ?

12. यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस से यह सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये पांच शील इस योग्य है कि उन्हें जीवन का सच्चा माप-दण्ड मान लिया जाय।

4. धम्मचक्र प्रवर्तन

अष्टांगिक-मार्ग या सम्यक्मार्ग (सदाचरण का मार्ग)

1. इसके आगे बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा --इस मार्ग के आठ अंग हैं।
2. बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मा दिट्ठी (-सम्यक् दृष्टि) की व्याख्या की जो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम है और प्रधान हैं।
3. सम्यक् दृष्टि का महत्व समझाने के लिये बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा -
4. ''हे परिव्राजको! तुम्हे इस का बोध होना चाहिये कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है।
5. इस कारागार में इतना अधिक अन्धकार है कि यहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि वह कैदी है।
6. इतना ही नहीं कि बहुत अधिक समय तक इस अन्धेरी कोठरी में ही पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अन्धा हो गया हो, बल्कि उसे इस बात मे भी बड़ा सन्देह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई चीज भी कभी कहीं हो सकती है ?
7. मन ही एक ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है।
8. लेकिन इन कारागार-वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है कि यह उद्देश्य पूरा हो सके।
9. इनका दिमाग जरासा प्रकाश मात्र आने देता है, इतना ही है कि जिनके पास आँख है वह यह देख सकें कि अन्धकार नाम की भी कोई वस्तु है।
10. इसलिये ऐसी समझ बडी दोषपूर्ण है।
11. लेकिन हे परिव्राजको! कैदी की स्थिति ऐसी निराशजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है।
12. क्योंकि आदमी में एक बल है, एक शक्ति है जिसे संकल्प-बल वा इच्छा - शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा-शक्ति को जागृत और क्रिया-शील बनाया जा सकता है।
13. आदमी को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाये कि वह यह देख सके कि उसे अपनी इच्छा-शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अन्त में उसे बन्धन-मुक्त कर दे।
14. इसलिये यद्यपि आदमी बन्धन में है तो भी वह स्वतन्त्र हो सकता है; वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक न एक दिन वह स्वतन्त्र होकर रहे।
15. यह इसलिये कि हम जिस किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहे, हम उसे उस दिशा में ले जा सकते हें। मन ही है जो हमें जीवन-रूपी कारागार का कैदी बनाता है और यह मन ही है जो हमें कैदी बनाये रखता है।
16. लेकिन मन ने ही जिसे बनाया है मन ही उसे नष्ट भी कर सकता है, मन अपनी कृति को मटियामेट भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यही आदमी को बंधन-मुक्त कर सकता हैं।
17. यह है जो सम्यक् दृष्टि कर सकती है।
18. तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया ''सम्यक् -दृष्टि का अन्तिम उद्देश्य क्या है ? '' बुद्ध ने उत्तर दिया -''अविद्या का विनाश ही सम्यक्-दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या-दृष्टि की विरोधिनी है।
19. ''और अविद्या का अर्थ है कि आदमी दुःख को न जान सके, आदमी दुःख के निरोध के उपाय को न जान सके -- आदमी इन आर्य-सत्यों को न जान सके।
20. सम्यक् दृष्टि का मतलब है कि आदमी कर्म-काण्ड के क्रिया-कलाप को व्यर्थ समझे, आदमी शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या-धारण से मुक्त हो।
21. सम्यक् दृष्टि का मतलब है कि आदमी मिथ्या-विश्वास से मुक्त हो, आदमी यह न समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियमों के विरूद्ध घट सकती है।
22. सम्यक् दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सब मिथ्या-धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना-मात्र है और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थता से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं।

23. सम्यक्-दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सब मिथ्या-धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना-मात्र हैं और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थता से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं।

23. सम्यक्-दृष्टि का मतलब है कि आदमी का मन स्वतन्त्र हो, आदमी के विचार स्वतन्त्र हों।

24. हर आदमी की कुछ आशायें होती हैं, आकांक्षायें होती है; महत्वाकांक्षायें होती है। सम्यक् संकल्प का मतलब है कि हमारी आशायें, हमारी आकांक्षायें ऊंचे स्तर की हों, निम्नस्तर की न हों, हमारे योग्य हों, अयोग्य न हों।

25. सम्यक्वाणी का मतलब है कि आदमी (1) सत्य ही बोले, (2) आदमी असत्य न बोले, (3) आदमी दूसरों की बुराई न करता फिरे, 4) आदमी दूसरों के बारे में झूठी बाते न फैलाता फिरे, (5) आदमी किसी के प्रति गाली-गलौज का वा कठोर वचनों का व्यवहार न करे, (6) आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे, (7) आदमी व्यर्थ की, बेमतलब, मूर्खतापूर्ण बातें न करता रहे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धिसंगत हो, सार्थक हो और उद्देश्यपूर्ण हो।

26. जैसा मैने समझाया सम्यक्-वाणी का व्यवहार न किसी के भय की अपेक्षा रखता है, और न किसी के पक्षपात की। इसका इससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं होना चाहिये कि कोई ''बड़ा आदमी'' उसके बारे में क्या सोचने लगेगा अथवा सम्यक्-वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है।

27. सम्यक्-वाणी का माप-दण्ड न किसी ''ऊपर के आदमी'' की आज्ञा है, और न किसी व्यक्ति को हो सकनेवाला व्यक्तिगत लाभ।

28. सम्यक्-कर्मान्त योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखें।

29. सम्यक्-कर्मान्त का माप-दण्ड क्या है ? सम्यक् कर्मान्त का माप-दण्ड यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम हैं उनसे अधिक से अधिक समन्वय रखता हो।

30. जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हों, तो उन्हें हम सम्यक्-कर्म कह सकते हैं।

31. प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है। लेकिन जीविका कमाने के ढंगों में अन्तर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बुरे ढंग वे है जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाये अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किये अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक्-आजीविका है।

32. सम्यक् व्यायाम; अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढी है, इस दुःखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता है ताकि उसे खोला जा सके।

33. सम्यक्-व्यायाम के चार उद्देश्य हैं।

34. एक है अष्टांगिक-मार्ग विरोधी चित्त-प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना।

35. दूसरा है ऐसी चित्त-प्रवृत्तियों को दबाना जो उत्पन्न हो गई हो।

36. तीसरा है ऐसी चित्त-प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों।

37. चौथा है ऐसी उत्पन्न चित्त-प्रवृत्तियों में और भी अधिक वृद्धि करना तथा उनका विकास करना।

38. सम्यक् स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत् जागरूकता हे। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं, उन की चौकीदारी करना सम्यक्-स्मृति का ही एक दूसरा नाम है।

39. ''हे परिव्राजको! जो आदमी सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीविका, सम्यक्-व्यायाम और सम्यक् स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में पांच बाधाएँ या बन्धन आते हैं।''

40. ये हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा (संशय) तथा अनिश्चय इन बाधाओं को, जो वास्तव में कड़े बंधन ही हैं, जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। लेकिन परिव्राजको! यह समझ लेना चाहिये कि समाधि और 'सम्यक समाधि' एक ही बात नहीं। दोनों में बड़ा अन्तर हैं।

41. समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें सन्देह नहीं कि इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनके रहते ये पांचों संयोजन या बन्धन स्थगित रहते हैं।

42. लेकिन ध्यान की ये अवस्थायें अस्थायी हैं। इसलिये संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हें। आवश्यकता है चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की। इस प्रकार का स्थायी-परिवर्तन सम्यक् समाधि के द्वारा ही लाया जा

सकता है।

43. खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह इतना ही तो करती है कि संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखे। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। सम्यक् समाधि एक भावात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल-कर्मो का एकाग्रता के साथ चिन्तन करने का अभ्यास डालती है और इस प्रकार मन की संयोजनोत्पन्न अकुशल-कर्मो की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती हैं।

44. सम्यक् समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल (भलाई ही भलाई) सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक् समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है, जिससे आदमी कल्याणरत रह सके।

5. धम्मचक्र प्रवर्तन

शील का मार्ग (सद्‌गुणोंका मार्ग)

1. तदनन्तर बुद्ध ने उन परिव्राजकों को शील का पथ वा सद्‌गुणों का मार्ग समझाया।

2. उन्होंने उन्हे बताया कि शील के पथ का पथिक होने का मतलब है इन सद्‌गुणों का अभ्यास करना; (1) शील, 2) दान, (3) उपेक्षा, (4) नैष्क्रम्य, (5) वीर्य, (6) शान्ति, (7) सत्य, (8) अधिष्ठान, (9) करूणा, और 10) मैत्री।

3. उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सदृगुणों का यथार्थ अर्थ समझना चाहा।

4. तब बुद्ध ने उनकी शंका मिटा कर उन्हे सन्तुष्ट करने के लिये कहा -

5. ''शील का मतलब है नैतिकता, अकुशल न करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति; बुराई करने में लज्जा-भय मानना। लज्जा-भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना शील है। शील का मतलब है पापभीरूता।

6. नैष्क्रम्य का मतलब है सांसारिक काम-भोगों का त्याग।

7. दान का मतलब है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ-पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी सम्पत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहां तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना।

8. वीर्य का मतलब है सम्यक् प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उसे अपने पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किये पीछे मुडकर नहीं देखना।

9. शान्ति का मतलब है क्षमा-शीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना यही इसका सार है। क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती ही नहीं। क्षमा शीलता से ही घृणा का मर्दन होता है।

10. सत्य का मतलब है मृषावादी न होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिये। उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिये।

11. अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़निश्चय।

12. करूणा का मतलब है सभी मानवों के प्रति प्रेमभरी दया।

13. मैत्री का मतलब है कि सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृ-भावना हो, मित्रों के प्रति ही नहीं, शत्रुओं तक के प्रति; आदमियों के प्रति ही नहीं, सभी जिवित प्राणियों के प्रति।

14. उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति, यह दूसरों के सुख-दुःख के प्रति निरपेक्ष-भाव रखने से सर्वथा भिन्न वस्तु है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय-अप्रिय कुछ नहीं है। फल कुछ भी हो - उसकी ओर से निरपेक्ष रहकर साधना में रत रहना।

15. इन सद्‌गुणों का आदमी को अपनी पुरे सामर्थ्य भर अभ्यास करना होता है। इसीलिये उन्हे 'पारमिता' कहा गया है।

6. धम्मचक्र प्रवर्तन

1. अपने धम्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक् व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया:-

2. ''क्या आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार की भलाई की आधारशिला नहीं है?'' उनका उत्तर था -- ''हाँ, यह ऐसा ही है।''

3. और फिर बुद्ध ने पूछा ''क्या ईर्षा , राग, अज्ञान, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य चरित्र की पवित्रता की जड़ नहीं खोद देते ? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिये यह आवश्यक नहीं है कि आदमी में इतना चारित्रिक बल हो कि वह इस प्रकार की बुराइयों के वश में न आ

सके ? यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन-कल्याण कैसे कर सकता है ?'' उनका उत्तर था - ''हाँ, यह ऐसा ही है।''

4. ''और आदमी दूसरों को अपना गुलाम बनाना, दूसरों को अपने वश मे ंरखना क्यों चाहते हैं? आदमी दूसरों के सुख-दुःख की ओर से उदासीन क्यों हैं ? क्या यह इसलिये नहीं है कि एक आदमी दूसरे के प्रति योग्य व्यवहार नहीं करता ?'' उनका उत्तर था, ''हाँ, यह ऐसा ही है।''

5. ''तो क्या अष्टांग मार्ग का अनुसरण सम्यक्-दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् आजीविका, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि --संक्षेप में सद्धम्म के अनुसार जीवन यापन --यदि प्रत्येक उस पथ पर चले तो उस सारी अमानवता का, उस सारे अन्याय का, जो एक आदमी दूसरे के प्रति करता है, अन्त नहीं कर देगा ? उनका उत्तर था ''हाँ, यह ऐसा ही है। ''

6. अब शील या सद्‌गुणों का उल्लेख करते हुए कहा -- ''क्या अभाव-ग्रस्तों का अभाव दूर करने के लिये, क्या दरिद्रों की दरिद्रता दूर करने के लिये और सामान्य जन-कल्याण करने के लिये दान आवश्यक नहीं है ? क्या जहां कष्ट है, जहां दरिद्रता है, उधर ध्यान देकर उसे दूर करने के लिये करूणा की आवश्यकता नहीं हैं ? क्या निस्वार्थ-भाव से काम करने के लिये निष्काम-भाव की आवश्यकता नहीं हैं ? क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत् प्रयत्न में लगे रहने के लिये उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है ?

7. ''क्या आदमी से प्रेम करना आवश्यक नहीं है ?'' उनका उत्तर था, ''हाँ''

8. मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है, जिस चीज की आवश्यकता है, वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा इस का क्षेत्र व्यापक है। इस का मतलब है न केवल आदमियों के प्रति मैत्री बल्कि प्राणी-मात्र के प्रति मैत्री। यह आदमियों तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित नहीं है ?

   इसके अतिरिक्त दूसरी कौन सी चीज है जो सभी आदमियों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख आदमी अपने लिये चाहता है, आदमी का चित्त पक्षपातरहित रहे, सभी के लिये खुला, सभी के लिये प्रेम और घृणा किसी से भी नहीं ?''

9. उन सब ने कहा, ''हाँ''।

10. ''लेकिन इन सद्‌गुणों के आचरण के साथ प्रज्ञा जुड़ी रहनी चाहिये -- सद्‌विवेक बुद्धि।

11. ''क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है ?'' परिव्राजक मौन रहे, उन्हे अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिये मजबूर करने की दृष्टि से तथागत ने अपना कथन जारी रखा। उन्होंने कहा :- ''भला आदमी हम उसीको कहेंगे जो कोई बुरा काम न करे, बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका न कमाये और मुंह से कोई ऐसी बात भी न निकाले जिससे किसी की हानि हो अथवा किसी को कष्ट पहुंचे।'' परिव्राजक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है''।

12. ''लेकिन क्या सत्कर्म भी एक अन्धे की भाँति किये जाने चाहिये? मैं कहता हूँ कि नहीं। यह पर्याप्त नहीं है। यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में कह सकते कि वह हमेशा भला ही भला है। क्योंकि अभी एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है, वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या सकता है ? वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है ? वह चिल्लाने के अतिरिक्त और उससे कोई बुरी बात कर ही क्या सकता है ? वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है ? वह ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता के मारे किलकारी भर मार सकता है। वह यह नहीं जानता कि जीविकार्जन क्या होता है ? वह किसी बुरे तरीके से अपनी जीविका क्या कमा सकता है ? वह अपनी मां की छाती से दूध पीने के अतिरिक्त और कुछ जानता ही नहीं।

13. ''इसलिये सद्‌गुणों का अनुसरण भी प्रज्ञा-पूर्वक होना चाहिए, अर्थात् सद्‌विवेक बुद्धि के साथ।

14. ''एक और कारण भी है जिसकी वजह से प्रज्ञा पारमिता इतनी अधिक महत्वपूर्ण और इतनी अधिक आवश्यक है। दान तो होना ही चाहिये। किन्तु बिना प्रज्ञा के दान का भी दुष्परिणाम हो सकता है। करूणा तो होनी ही चाहिये।किन्तु बिना प्रज्ञा के करूणा भी बुराई की समर्थक बन जाती है। सभी दूसरी पारमितायें प्रज्ञा-पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिये। सद्‌विवेक -बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है।

15. ''मेरी स्थापना है कि आदमी को अकुशल -कर्म का ज्ञान होना चाहिये, अकुशल-कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है; इसी तरह उसे कुशल-कर्म का भी ज्ञान होना चाहिये, कुशल-कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है ? इसी प्रकार आदमी को कुशल-कर्म और अकुशल-कर्म का भेद भी स्पष्ट ज्ञात होना चाहिये। इस प्रकार के ज्ञान के बिना चाहे कर्म-विशेष अपने में कुशल कर्म ही क्यों न हो, चाहे शुभ-कर्म अपने में शुभ-कर्म ही क्यों न हो, तब भी यथार्थ कुशल-भाव या यथार्थ शुभ-भाव नहीं ही है। इसीलिये मैं कहता हूँ कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्‌गुण है।[5]

16. तब बुद्ध ने परिव्राजकों को इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए अपना प्रवचन समाप्त कियाः-

17. ''हो सकता है कि तुम मेरे धम्म की निराशावादी धम्म समझ बैठो, क्योंकि मैं आदमियों का ध्यान मानव-जाति के दुःख की ओर आकर्षित करता हूँ। मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा बनाना गलती होगी।

18. ''निस्सन्देह मेरा धम्म दुःख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किन्तु यह उतना ही जोर उस दुःख के दूर करने पर भी देता है।

19. ''मेरे धम्म में दोनों बातें है --इस में मानव जीवन का उद्देश्य भी निहित है और यह अपने में आशा का संदेश भी है।

20. ''इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिसका मतलब है दुःख के अस्तित्व के सम्बन्ध में अज्ञान का नाश।

21. ''यह आशा का संदेश भी है क्योंकि यह दुःख के नाश का मार्ग बताता है।

22. ''क्या तुम इस सब से सहमत हो या नहीं ?'' परिव्राजको का उत्तर था -- ''हाँ''।

7. परिव्राजकों की धम्म-दीक्षा

1. उन पांचों परिव्राजकों ने यह तुरन्त देख लिया कि यह वास्तव में एक नया धर्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नये दृष्टि-कोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि सभी एक साथ कहने लगे ''संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के दुःख की स्वीकृति ही धर्म का वास्तविक आधार है।

2. ''संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी भी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के इस दुःख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य हैं।

3. ''संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मुक्ति का ऐसा मार्ग नहीं सुझाया था जो इतना सरल हो, जो मिथ्या विश्वास और 'अपौरूषेय' शक्तियों की मध्यस्थता से इतना मुक्त हो, जो इतना स्वतन्त्र ही नहीं बल्कि जो किसी 'आत्मा' या 'परमात्मा' के विश्वास का इतना विरोधी हो और जो मोक्ष लाभ के लिये मरणान्तर किसी जीवन में विश्वास रखना या न रखना भी अनिवार्य न मानता हो।

4. ''संसार के इतिहास में इससे पहले किसीने भी कभी ऐसे धर्म की स्थापना नहीं की, जिसका 'इलहाम' या 'ईश्वर-वचन' से किसी भी तरह का कुछ भी सम्बन्ध न हो और जिसके 'अनुशासन' आदमी की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन के परिणाम हों और जो किसी 'ईश्वर' की आज्ञायें न हों।

5. ''संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी 'मोक्ष' का यह अर्थ नहीं किया कि वह एक ऐसा 'सुख' है जिसे आदमी धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने से, अपने ही प्रयत्न द्वारा यहीं इसी पृथ्वी पर प्राप्त कर सकता है।''

6. उन परिव्राजकों ने जब बुद्ध से उनके द्वारा उपदिष्ट नया सद्धम्म सुना तो इसी प्रकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की।

7. उन्हे लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन-सुधारक मिल गये हैं, जिनका रोम-रोम धम्म की भावना से ओत-प्रोत है, और जो अपने युग के बौद्धिक ज्ञान से सुपरिचित हैं, जिन में ऐसी मौलिकता है और साहस है कि वे विरोधी विचारों की जानकारी रखने के बावजूद मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकें, जिस मुक्ति को यहीं, इसी जीवन में स्वंयकी -साधना और स्वयके-संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

8. बुद्ध के लिये उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके प्रति तुरन्त समर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि बुद्ध उन्हें अपना शिष्य बना लें।

9. बुद्ध ने उन्हे 'एहि भिक्खवे' (भिक्षुओ, आओ) कहकर भिक्षु-संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए।[6]

वर्तमान घटनाक्रम

❧ सरकारी बोरींग से पानी लेने के कारण दलित महिला से मारपीट

उड़ीसा के केन्द्रापाड़ा जिले के पिकीरली गांव में ग्रामिणों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा बोरींग की व्यवस्था की गई। पिछले एक माह से दलित बस्ती की बोरींग खराब होने के कारण दलितों को पानी की दिक्कत हो रही थी। इस गांव में 10 परिवार की दलित बस्ती में एक ही बोरींग थी। इसलिए कल्पना सेठी नामक दलित महिला सवर्णों की बस्ती में बने बोरींग से पानी लेने गई थी। तब भामार जेना, उमाकांत जेना और किशोर जेना नामक सवर्णों ने उसे पानी लेने से मना किया, उसकी बाल्टी फेंक दी, उसे गालीयां दी और उसके साथ मारपीट की।

हिन्दु धर्म के कारण सदियों से हो रहा जातिभेद आज भी बरकरार है। सरकारी सम्पत्ती को भी यें जातिवादी लोंग अपनी सम्पत्ती मान रहे है और दलितों के साथ भेदभाव कर रहे है। जिस धर्म में एक मानव का दुसरे मानव के साथ भेद करता है उसक त्याग देना ही मानव हित में है।

भारत के संविधान के अनुसार छुआछात समाप्त हो गई परन्तु वास्तव में वह आज भी कायम है। यह घटना इसे साबित करती है। इसका एकमात्र कारण हिन्दू धर्म है, यह सभी जानते है।

❧ दलित सरपंच भीख मांगने पर मजबुर

मध्यप्रदेश के दमोह जिले के बच्छवा ग्राम की सरपंच भीख मांगने के लिए मजबुर है। 2010 में हुये ग्राम पंचायत चुनाव में बच्छवा ग्राम की सरपंच की सीट दलित महिला के लिए आरक्षित थी। तब रजनी बन्सल नामक महिला को उस ग्राम का सरपंच चुना गया। जैसा कि पुरे भारत में जातिवादी व्यवस्था के कारण दलित सरपंचों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और जातिद्वेष के कारण प्रताड़ीत किया जा रहा है, उसी प्रकार का व्यवहार इस दलित महिला सरपंच के साथ भी हो रहा है। कार्यालयीन दस्तावेजों पर इस महिला के हस्ताक्षर लिये जाते है। उसे केवल स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत भवन में बुलाया जाता है परन्तु सन्मान नहीं दिया जाता। अज्ञानता और लाचारी के कारण वह महिला भी अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रही है।

इस महिला का पति मजदुर है। उसे नियमित मजदुरी नहीं मिलती। उस महिला को भी मानदेय नियमित रूपसे नहीं मिलता। इसलिए इस महिला सरपंच के परिवार को भुखमरी की स्थिति तक पहुंचा दिया गया। वह अपने परिवार का भरण-पोषण भीख मांगकर कर रही है।

हमारे देश में महिला सशक्तीकरण की बाते तो होती है, महिलाओं के आरक्षण की बात तो होती है। परन्तु वास्तव में जातिद्वेष के कारण दलित महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलता और जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा तब तक दलितों को अधिकार उनके अधिकार नहीं मिलेंगे।

❧ अंर्तजातिय विवाह करनेवाले दलित युवक की हत्या

तामिलनाडु के धर्मापुरी जिले के दलित युवक इलावरसन ने एक सवर्ण युवती दिव्या से शादी की। इस घटना के कारण सवर्णों ने दलितों के घर जला दिये थे। 4 जुलाई 2013 को इसावरसन का शव रेल्वे की पटरीयों के पास पाया गया। उसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है क्योंकि युवती ने अपने मां के साथ रहने की ईच्छा अदालत में व्यक्त की गई थी। परन्तु युवक के पिता टी. इलांगो, माता कृष्णानवेनी, मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एन.जी.आर. प्रसाद और संकारा सुब्बु यह मानते है कि, इलावरसन की हत्या की गई है। उन्होंने सीबीआई या इसआईटी से जांच करने की मांग की है।

जातिवाद का जहर इतना खतरनाक है कि उसने सारी मानवता ही समाप्त कर ड़ाली। सदियों से भारतीयों के दिमाग में ड़ाले गये इस जहर का असर अभी भी है। इस जहर का निर्माता ब्राह्मणवाद है। वह इसे कायम रखने के लिए आज भी प्रयत्नशील है। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा तब तक जातिवाद रहेगा। ब्राह्मणवाद समाप्त किये बगैर जातिवाद समाप्त नहीं होगा। इस ब्राह्मणवाद को समाप्त करने का एकमात्र उपाय बुद्धीज्म ही है। भारत में यदि बुद्धीज्म प्रस्थापित होता है तो सभी अन्याय-अत्याचार का अंत होगा। इसलिए हमें अन्याय-अत्याचार का विरोध कर रूक नहीं जाना है परन्तु उसका स्थायी इलाज करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ निरंतर प्रयत्न करना है।

❧ शालेय मध्यान्ह भोजन योजना में अस्पृश्यता

शालाओं में दिये जानेवाले मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत भारत के विद्यालयों में भोजन दिया जा रहा है। परन्तु देश के कुछ विद्यालयों में दलित रसोईयों द्वारा बनाया हुआ खाना न खाने की घटनायें प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार दलित विद्यार्थीयों के साथ भोजन के समय भेद करने की घटनायें भी उड़ीसा राज्य की शालाओं में हो रही है। हो सकता है देश के अन्य विद्यालयों में भी दलित विद्यालयों में जातिभेद की घटनायें हो रही हो। उल्लेखनीय यह है कि जातिभेद के विष से ग्रस्त शिक्षक सवर्ण विद्यार्थीयों के मन में जातिभेद का जहर ड़ाल रहे है।

❧ राष्ट्रीय रोजगार गॉरन्टी योजना का लाभ दलित और आदीवायीयों को कम मिल रहा है।

भारत में सर्वाधिक गरीब दलित और आदिवासी समुदाय के लोग है। यदि इन समुदाय के लोगों को राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना का लाभ मिलता है तो उन्हें गरीबी से राहत मिलेगी। परन्तु इन वर्गों के राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के लाभार्थीयों की संख्या सन् 2009-2012 के बीच घटी है। दलित लाभार्थीयों की संख्या में 46.47 प्रतिशत तथा आदिवासी लाभार्थीयों की संख्या में 39.64 प्रतिशत कमी आई है। उल्लेखनीय है कि, छत्तिसगढ़, झारखंड़ और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में इन वर्गों के लाभार्थीयों की संख्या में भारी कमी आयी है।

दलित-आदिवासी मजदुरों को राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना का पुरा लाभ नहीं मिल रहा है इसके दो मुख्य कारण है। एक है, इस योजना के अमल पर सरकारी नियंत्रण की कमी और दुसरा है, जातिभेद। इनके अलावा 100 दिन की बजाय कम दिन रोजगार देना, मजदूरी कम देना, मजदूरी समय पर नहीं देना यह भी कारण है।

❧ बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हुये अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालते

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हो रहे अत्याचारों की रिपोर्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निर्मुलन अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हो इसलिए बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले के मुख्यालय में विशेष पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि सन् 2012 में इन वर्गों पर हुए अत्याचार के प्रकरणों की संख्या 4821 तक बढ़ गई। यह बिहार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जीतनराम माझी ने कहीं। उनके अनुसार इनमें से 3423 प्रकरणों में अबतक निबटारा नहीं हो सका।

मंत्री महोदय के अनुसार बिहार सरकार द्वारा अब अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति पर हुये अन्याय-अत्याचार के प्रकरणों के निपटारे के लिए विशेष अदालते स्थापित की जायेगी ताकि ऐसे प्रकरणों का निपटारा जल्दी हो सके। मुख्यमंत्री कार्यालय से कानून मंत्रालय को निर्देश दिये गये कि, वह बिहार उच्च न्यायालय से निवेदन करे कि ऐसी अदालतें स्थापित करने की प्रक्रिया जल्दी पुरी करे। यह विशेष अदालतें पटना, गया, मुझफ्फरपुर, बेगुसराय और भागलपुर जिले में स्थापित करना प्रस्तावित है।

बिहार सरकार द्वारा यह विशेष अदालते स्थापित कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लुभाने का तरीका भी हो सकता है। इन विशेष अदालतों का इन वर्गों को लाभ तभी मिलेगा जब सभी अपराधियों को सजा होगी। कोई भी जातिद्वेष के कारण इन वर्गों के लोगों पर अत्याचार करने की हिम्मत न कर सके इस प्रकार का वातावरण निर्माण होगा तभी बिहार सरकार इन वर्गों की हितैषी है यह साबित होगा। उसीप्रकार अन्यथा आश्वासन देकर इन वर्गों के लोगों को अब तक ठगता आया है। बिहार सरकार इन लोगों को ठगेंगी।

❧ खाद्य सुरक्षा बिल लोकसभा में पारित

यह संसार का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा विधेयक कार्यक्रम है जिसके क्रियान्वयन में सरकार को प्रतिवर्ष 1.25 लाख करोड़ रूपये खर्च करने होगे। इस कार्यक्रम के द्वारा देश की लगभग 67 प्रतिशत जनता को (लगभग 80 करोड़) लगभग 6 करोड़ 20 लाख टन गेंहू, चावल और मोटा अनाज सस्ते दर में दिया जायेगा। प्रतिव्यक्ति को हर महिने 3 रू. प्रतिकिलो चावल, 2 रू. प्रतिकिलो गेंहू और 1 रू. प्रतिकिलो मोटा अनाज इस भाव से 5 किलो अनाज दिया जायेगा। ग्रामिण क्षेत्र के 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के 50 प्रतिशत नागरिकों को इस योजना का लाभ होगा। लाभार्थी का चुनाव और अनाज का वितरण राज्य सरकारें करेगी। अनाज केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जायेगा। राशन कार्ड परिवार की सबसे अधिक वयस्क महिला के नाम से दिया जायेगा। हर गर्भवती महिला को मुफ्त अनाज मिलेगा। 6 वर्ष

से कम आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी में तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को विद्यालयों में मुफ्त भोजन दिया जायेगा। अंत्योदय अनाज योजना के अंतर्गत आनेवाले 2.43 करोड़ सर्वाधिक गरीब परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो अनाज प्रति परिवार दिया जायेगा।

जैसा कि सब लोग जानते है, भारत में कानून और योजनाएं बनती है परन्तु उनपर अमल नहीं होता इसलिए जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। अमल पर सरकार का कड़ा नियंत्रण नहीं होता क्योंकि गड़बड़ी करने वाले अक्सर राजनेता, पूंजीपती और नौकरशाह खाद्य सुरक्षा अधिनियम होते है।

अनाज सुरक्षा बिल अब राज्यसभा में पास होगा परन्तु उसका क्रियान्वयन कितना होगा यह आनेवाला समय ही बतायेगा। कुछ गड़बड़ीयां हो सकती है जो इस प्रकार है।

1. सरकार अनाज तो खरीदेगी परन्तु उसके भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अनाज सड़ सकता है।
2. खराब अनाज वितरण से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरित परिणाम हो सकता है।
3. लाभार्थी चुनते वक्त बड़ी तादाद में गड़बड़ीयां हो सकती है जिसके जरूरतमंद लाभ से वंचित होगा। नेताओं के दबाव के कारण और नौकरशाह की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण गैरजरूरत मंद लाभ उठा सकते है। गरीबों को अपने काम छोड़कर कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ सकते है। जातिद्वेष के कारण दलितों को लाभ से वंचित रखा जा सकता है, जैसा कि हमेशा से ही होता आ रहा है।
4. अनाज वितरण में भ्रष्टाचार हो सकता है।
5. भोजन व्यवस्था में कर्मचारी और ठेकेदार और नेता भ्रष्टाचार कर सकते है।

इस प्रकार अन्य गड़बड़ीयां होने की संभावनाये है जिसका उपाय सरकार ने करना चाहिये अन्यथा यह योजना केवल लुभावनी रह जायेगी और जनता को लाभ नहीं मिलेगा।

यह बिल पारित होने के बाद गरीब, भुखमरी के शिकार और कुपोषण के शिकार लोगों को राहत मिल सकती है। इससे पेट पालने की समस्या का निदान हो सकता है। इससे गरिबों की आर्थिक स्थिति में सुधार या आर्थिक प्रगती नहीं हो सकती। रोजगार के अवसर के साथ व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराना अत्याधिक आवश्यक है। भारत का हर नागरिक स्वयं पर निर्भर होकर कम से कम इतना कमा सकें कि अपने और अपने पर आश्रित लोगों पर आवश्यक खर्च करने के बाद थोड़ा बचा सके। सरकार यदि इस दिशा में कदम उठाती है तो हमारे देश से गरिबी समुल नष्ट हो जायेगी। इसके लिए सरकार को अपनी नियत और निति में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

❧ भूमि अधिग्रहण बिल लोकसभा में पारित

दिनांक 29 अगस्त 2013 को भूमि अधिग्रहण बिल लोकसभा में पारित हुआ। इस बिल की मुख्य बाते इस प्रकार है-

1. ग्रामीण क्षेत्र के भू-धारक को भूमि के बाजार मूल्य के चार गुना मुआवजा दिया जायेगा तथा शहरी क्षेत्र के भूमि धारक को बाजार मूल्य के दो गुना मुआवजा दिया जायेगा।
2. भूमि अधिग्रहण जबरदस्ती नहीं किया जायेगा। निजी और जनभागीदारी प्रकरणों में 70 प्रतिशत भू-धारकों की स्वीकृति आवश्यक होगी तथा निजी अधिग्रहण के प्रकरणों में 80 प्रतिशत भू-धारकों की स्वीकृति आवश्यक होगी।
3. यदि उपयोग में नहीं लायी जाति है तो उसे भू-धारक या राज्य भूमि बैंक को वापिस करनी होगी।
4. भूमिधारक को आयकर या स्टॅम्प ड्युटी नहीं लगेगी।
5. भू-धारक को पुरा भूगतान तथा दूसरी जगह दिये जाने के पूर्व हटाया नहीं जायेगा।
6. अनुसूचित जाति और जनजाति के भू-धारकों को उनकी भूमि के बराबर या 2.5 एकड़ (दोनों में जो भी एक हो) दूसरी भूमि दी जायेगी।
7. भूमि अधिग्रहण के पुराने प्रकरणों में, जहां मुआवजा नहीं दिया गया, इस बिल के अनुसार भूगतान किया जायेगा।
8. भूमिधारक को दूसरी जगह बसाया जायेगा तथा उनको प्रशिक्षण की सुविधा दी जायेगी।
9. वक्फ की भूमि अधिग्रहीत नहीं की जायेगी।

10. सितंबर 2011 के बाद इस बिल के लागू होते तक अधिग्रहीत भूमि पर 40 प्रतिशत मुआवजा दिया जायेगा।

इस बिल के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के भू-धारकों की भूमि 2.5 एकड़ से अधिग्रहीत करने पर उन्हें केवल 2.5 एकड़ ही दूसरी भूमि मिलेगी यह न्यायसंगत नहीं है। यदि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हितैषी होती और उनका आर्थिक उत्थान चाहती तो इन वर्ग के लोगों को कम से कम 2.5 एकड़ या उससे अधिक जो जमीन अधिग्रहीत की उसके बराबर दूसरी जमीन आबंटीत करती।

सरकार वास्तव में ब्राह्मणवाद की शिकार है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विकास नहीं चाहती केवल दिखावा भर करती है। इसलिए इन वर्गों के लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। इन वर्गों के बहुसंख्यक लोगों के पार बहुत कम कृषि भूमि है, उनमें कृषि मजदूर है। जिनके पास कृषि नहीं है और जिनके पास बहुत कम कृषि है ऐसे लोगों को सरकार भूमि आबंटीत करे तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और गरिबी कम हो सकती है। भूमि अधिग्रहण बिल से उन लोगों को अधिक लाभ होना जिनके पास अधिक भूमि है। कम भूमि वालों को और भूमिहीनों को सरकार द्वारा भूमि आबंटीत करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना और सरकारी योजनाओं के अमल पर नियंत्रण से ही हमारे देश की गरिबी दूर की जा सकती है।

❧ शिक्षा का ब्राह्मणीकरण

भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्राह्मणवाद से प्रभावित है। साथ ही शिक्षक भी ब्राह्मणवाद से प्रभावित है। ऐसे ही एक शिक्षक ने गणेश को मॅनेजमेन्ट गुरू बना दिया। नागपुर के तिरपुड़े महाविद्यालय की शिक्षिका ऋतुजा देशपांडे ने एम.बी.ए. के विद्यार्थीयों को गणेश के अंगों कि विशेषता बताकर प्रबंधन सिखाया। आश्चर्य की बात तो यह है कॉलेज के व्यवस्थापन ने भी उसे स्वीकृति दी।

गणेश के बड़े सिर को उसने मॅनेजर को बड़ा विचार तथा बड़ा मुनाफा कमाने के लिए प्रेरित करता है ऐसा बताया। बहुत से लोगों का बड़ा सिर होता है तो क्या वे सभी बड़े विचार के होते है ? मतिमंद लोगों का भी बड़ा सिर होता है तो क्या वें बड़े विचार के कहलायेंगे ? उस शिक्षिका के अनुसार बड़े कान नई कल्पना और सुचना ग्रहण करना है जबकि नई सुचनायें ग्रहण करने का काम का दिमाग का है। यदि दिमाग विकसित नहीं है तो कान कितना भी बड़ा हो, वह किस काम का ? उसके अनुसार छोटी आंखें ध्येय साध्य करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने का संकेत देती है। ध्येय साध्य करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने हेतु छोटी आंखें होना चाहिये ? क्या मन में संकल्प आवश्यक नहीं ? इसप्रकार गणेश के अन्य अंगों को व्यवस्थापन से जोड़कर उस अध्यापिका ने अपनी मुर्खता का परिचय दिया। हाथी एक जानवर है और उसके सिर से आदमी प्रेरणा कैसे ले सकता। जानवर का दिमाग आदमी के दिमाग से विकसित नहीं हो सकता। संसार में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां व्यवस्थापन के लिए जानवर के सिर से प्रेरणा लेने की शिक्षा दी जाती है। इसी कारण 75 देशों के विद्यार्थीयों के सर्वेक्षण से यह पाया गया कि भारत का क्रमांक 74 वां है। शिक्षकों की ऐसी मानसिकता का मूल कारण उनके ब्राह्मणवाद के शिकार होना है। उसीके कारण भारत शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी शर्मनाक स्थिति में पहुंचा है।

जहां तक गणेश की उत्पत्ति का प्रश्न है, हमें ब्राह्मणी साहित्य की कहानियों से यह पता चलता है कि उसकी उत्पत्ति पार्वती के शरीर के मैल से हुई है। ऐसी मैली चिज को भगवान बना दिया गया।

❧ अंर्तजातिय विवाह के कारण पिता ने लड़की की हत्या की

महाराष्ट्र के नाशिक शहर में किसन कुंभारकर की लड़की प्रमिला ने पिछड़ी जाति के युवक से अंर्तजातिय विवाह किया था। इस विवाह को किसन कुंभारकर और उसके परिवार का विरोध था। शादी को कुछ महीने गुजर जाने के बाद भी किसन कुंभलकर की संकीर्ण मानसिकता बदल नहीं पायी। उसने अपनी गर्भवती लड़की को रिक्षा में बिठाया और उसे अस्पताल ले गया। उसने रिक्षाचालक को अस्पताल में पुछताछ के लिए भेज दिया और रिक्षे में ही अपनी खुद की लड़की की गला दबाकर हत्या कर ड़ाली।

पुलिस ने किसन कुंभारकर को गिरफ्तार तो कर लिया परन्तु प्रश्न यह है कि हमारे देश में जातिवाद के जहर से ग्रसित ऐसे असंख्य किसन कुंभारकर है उनका इलाज कैसे किया जाय। कानून इस जहर को नहीं निकाल सकता। जातिभेद को समाप्त करना हा इसकी एकमात्र इलाज है।

❧ दोगली महाराष्ट्र सरकार

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों को

लुभाने के लिए महाराष्ट्र सरकार घोषणायें करती है। परन्तु वह इन वर्गों का न हो इसका भी इंतजाम करती है। राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाती आयोग की स्थापना 1 जून 2006 को कर दी परन्तु वह ठीक से काम न कर सके इस का भी इंतजाम सरकार ने किया है। आयोग में 7 सदस्यों के पद है, परन्तु केवल दो सदस्य ही कार्यरत है। इसप्रकार 5 सदस्यों के पद रिक्त है। दो सदस्यों में एक अनुसूचित जाति के मामलों का निपटारा करते है और दूसरे अनुसूचित जनजाति के मामलों का। जब से यह आयोग बना 4206 मामले दर्ज किये गये, जिनमें से 3381 मामलों को निपटारा किया गया। इसप्रकार अभी भी लगभग 1000 मामलों का निपटारा होना बाकी है। जहां तक कर्मचारीयों का प्रश्न है, 27 कर्मचारीयों में से केवल 13 कर्मचारी पदस्थ है। इसप्रकार आधे से अधिक कर्मचारीयों के पद रिक्त है। सरकार को इसप्रकार की कार्यशैली से इन वर्गों के पीड़ितों को जल्दी न्याय नहीं मिलता। यही हाल देश के अन्य राज्य आयोगों का भी हो सकता है। इसप्रकार ब्राह्मणवाद से ग्रस्त राज्य सरकारें नहीं चाहती की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को न्याय मिले।

❧ महाबोधि महाविहार में बम विस्फोट-अपराधी अब तक पकड़े नहीं गये

7 जुलाई 2013 को महाबोधि महाविहार में 10 क्रमिक विस्फोट हुये। इन बम विस्फोटों में 2 बौद्ध भिक्षू घायल हुये। इस घटना के विरोध में पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किये गये, परन्तु अब तक अपराधी पकड़े नहीं गये। संदेह के आधारपर एन आई ए ने कुछ लोगों केा हिरासत में लेकर पुछतांछ कि। इनमें एक हिन्दु पुजारी भी था। परन्तु अब तक जांच एजेन्सी द्वारा असली मुजरिम का नाम जाहिर नहीं किया। जांच एजेन्सी नाकाम रही या अपराधी को पकड़ लेने के बाद उसका नाम जाहिर नहीं करना चाहती यह रहस्य अबतक बना हुआ है। हो सकता है कि, ब्राह्मणवादी सरकार अपराधी का नाम जाहिर नहीं करना चाहती। अन्यथा अब तक जो भी बम विस्फोट हुये उनमें संलग्न लोगों के नाम जाहिर किये गये और व सलाखों के पिछे है।

महाबोधि महाविहार बमस्फोट के लिए उपयोग में लाया गया टाईमर गुजरात में बना हुआ था इस बात का पता लगाया गया। भारतीय जांच एजेन्सी को इंडियन मुजाहीद्दीन पर शक था। परन्तु हालही में गिरप्तार किये गये कुख्यात आंतकवादी यासीन भटकल ने भारत में किये गये अन्य बमस्फोट में उसका हाथ होना स्वीकार किया परन्तु महाबोधि महाविहार पर हुये बमस्फोट में उसका हाथ होना अस्वीकार किया। सरकार की चुप्पी से इस बात को और भी बल मिलता है की यह विस्फोट ब्राह्मणवादी संगठनों ने ही कियें।

❧ आर.एस.एस.बम बनाने का प्रशिक्षण देती है

मध्यप्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री दिग्वीजयसिंह ने पिछले दिनों पत्रकारों को बताया कि, आर.एस.एस.बम बनाने का प्रशिक्षण देती है। उनके वक्तव्य की पुष्टी करते हुये उन्होंने गतवर्षों में मिले सबुतों का हवाला दिया।

उनके अनुसार 1992 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सेवाभारती कार्यालय में बम बनाते वक्त विस्फोट हुआ था और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। 1993 में इस संबंध में कल्लूसिंह पथरोड नाम के कार्यकर्ता को गिरप्तार किया गया था। 2004 में महु में हुये विस्फोट के अपराधियों ने स्वीकार किया था कि उन्हें आर.एस.एस. द्वारा बन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था।

❧ भारत के पिछड़ेपन का कारण जातिव्यवस्था

अमेरिका निवासी प्रसिद्ध भारतीय संशोधक वी.ए.अय्यादुरई ने श्रीशक्ति इन्स्टीट्युट आफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर यह कहां कि भारत के पिछड़ेपन का कारण जाति व्यवस्था है। पश्चिमी देशों में हमेशा नये-नये अविष्कार करने की स्पर्धा हो रही है परन्तु भारत के लोग अभी भी जाति व्यवस्था से चिपके हुये है। विकसित देशों की तुलना में भारत बहुत पिछे है। आजादी के बाद एक भी भारतीय संशोधक को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि, जातिद्वेष के कारण उन्होंने शास्त्रीय और औद्योगिक संशोधन संगठन से इस्तिफा दिया था और अमेरिका में बस गये। भारत में वें जातिभेद का शिकार हुये और अमेरिका में वर्ण-भेद का। ई-मेल के वें आविष्कारक है यह सिद्ध करने पर उनके साथ भेदभाव किया गया।

❧ जातिपंचायत के पंचों के विरूद्ध कार्यवाही

भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्राह्मणवाद से ग्रसित लोगों ने जातिपंचायतें बनाई हुई है। महाराष्ट्र के लालसगांव में ऐसी ही एक जाति पंचायत ने एक परिवार पर अंर्तजातिय विवाह के

कारण पिछले 30 वर्षों से बहिष्कार कर रखा है। दो वर्ष पूर्व इस परिवार के एक सदस्य का निधन हो गया। मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का फरमान जातिपंचायत ने जारी किया था और धमकी दी थी कि जो कोई अंतिम संस्कार में शामिल होगा उसे 11 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा। जातिपंचायत के इस विरोध से तंग आकर मृतक की लड़की मालती गरड़ ने पुलिस को शिकायत की। इस देश की जातिवादी पुलिस भी उसकी शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं थी। मालती ने भी हिम्मत नहीं हारी और पुलिस को शिकायत दर्ज करने के लिए मजबुर किया। पुलिस ने मालती के चार दिनों के प्रयास के बाद शिकायत दर्ज की और पंचायत के 6 पंचों के विरूद्ध कार्यवाही की।

इस घटना से अन्य सभी जातिपंचयातों में दहशत फैल गई है। मालती के माता-पिता ने 30 वर्षों तक जाति पंचायत का अन्याय सहन किया और अन्याय के विरूद्ध आवाज नहीं उठाई। परन्तु लड़की ने जब आवाज उठाई तब लालसगांव तो क्या अन्य जातिपंचायतों में भी हड़कंप मच गया। अन्याय सहन करने से अन्यायी के हौसले बुलंद होते है और अन्याय बढ़ता है। इसलिए अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाना ही चाहीये।

❧ देवी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं की बेटी की हत्या

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के तुरगा ग्राम में एक पिताने देवी को प्रसन्न करने के लिए अपनी स्वयं की 6 वर्षीय बेटी की हत्या कर ड़ाली।

पूर्व जनपद सदस्य संतलाल इरपाचे स्थानिय खेरभाई मंदिर में अपनी बेटी के साथ आया। उसने देवी के मुर्ति की पूजा की और कुल्हाड़ी के एकही वार में अपनी मासूम बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया। घटनास्थल पर मौजुद लोगों ने हिम्मत जुटाकर उसे पकड़ लिया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर संतलाल को हिरासत में ले लिया।

भारत में ईश्वर विश्वास सबसे बड़ा अंध विश्वास है। इसी अंधविश्वास ने अन्य सभी अंधविश्वासों को जन्म दिया और मानवता का सर्वनाश किया। शिक्षा का विकास हुआ परन्तु शिक्षितों ने भी इस पर विचार नहीं किया और अंधविश्वास को कायम रखा। यह स्वाभाविक रूप से प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने दिमाग को गिरवी रख दिया है। ईश्वर विश्वास से भारतीयों का मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए जिसका अस्तित्व ही नहीं ऐसे ईश्वर पर विश्वास करने के लिए आदमी को मजबुर किया और उसके दिमाग पर ताला लगा दिया। आदमी को इतना पागल बना दिया गया कि वह अस्तित्वहीन ईश्वर से मधुर संबंध जोड़ने के लिए या उसे खुश करने के लिए सबकुछ न्यौछावर करता है यहां तक की हत्या भी करता है। वह जीवित मानव जिसका अस्तित्व है उससे मधुर संबंध नहीं रखता। यही ब्राह्मणवाद है। दिमाग रखने वाले हर व्यक्तिने इस स्थिति पर विचार करना है और उस पागलपन से मुक्त होना है तभी उसका भी भला होगा और मानवनता का भी भला होगा।

❧ भूमिहिनों को भूमि देने की केन्द्र की योजना - राज्य सरकारों का विरोध

2003-04 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 प्रतिशत लोगों के पास 55 प्रतिशत भूमि है। यह जमींदार स्वयं खेती नहीं करते, केवल उस भूमि का लाभ लेते है। बहुसंख्यक किसान ऐसे है जिनके पास अपने परिवार को पालने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। इन 60 प्रतिशत लोगों के पास केवल 5 प्रतिशत भूमि है। यह बहुत बड़ा कारण है। इसीप्रकार बड़ी तादाद में खेती मजदूर है, उन्हें भी अपने परिवार को पालने के लिए पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती। यही लोग ग्रामीण क्षेत्र में गरीब है। गरीबी निर्मुलन के लिए सरकार ने कम भू-धारक और भूमिहिनों को भूमि देने की योजना बहुत पहले बनानी चाहीये थी। शायद जमींदारों के दबाव के कारण नहीं बना पाये। परन्तु अब देर आये, दुरूस्त आये। केन्द्र सरकार की योजना के मुख्य बिन्दू निम्मानुसार है।

1. सीमा से अधिक भूमि, भूमिहिनों को आवंटीत की जावे। (सिमा-10 एकड़ सिंचित, 15 एकड़ गैर सिंचित)
2. शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, संशोधन संस्था आदि को सहुलियत में दी गई भूमि की सीमा 15 एकड़ होगी।
3. दलित, आदिवासीयों द्वारा मुश्कील समय में भूमि न बेची जाय, इसलिए उन्हें शासकीय आर्थिक मदद मिलनी चाहीये।
4. आदिवासीयों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद

सकता परन्तु गैरकानूनी तरिके से आदिवासीयों की हजारों एकड़ जमीन की खरीदी-बिक्री हुई है। ऐसे प्रकरणों की जांच हो और ऐसे गैरकानूनी लेन-देन निरस्त किये जावे।

5. कृषीयोग्य भूमि में महिलाओं का 50 प्रतिशत हिस्सा होना चाहीये।
6. वन अधिकार कानून के अंतर्गत आदिवासीयों केा दी गई जमीन पर पुनर्विचार करना।

उपरोक्त बिन्दुओं के अलावा देवस्थानों की हजारों एकड़ खाली जमीन सरकार ने हस्तगत कर भूमिहिनों को आबंटीत करने का प्रावधान होना चाहीये।

केन्द्र सरकार की योजना राज्य के विचारार्थ उन्हें भेज दी गई है और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेशों के राजस्व मंत्रीयों की इस संबंध में मिटींग भी ली जायेगी।

केन्द्र सरकार की यह पहल स्वागत योग्य है। परन्तु राज्य सरकारें इसमें रोड़ा बन सकती है क्योंकि संविधान के अनुसार भूमि व्यवस्थापन राज्य सरकार का अधिकार है।

❧ राजनैतिक स्वार्थसिद्धी के लिए निरपराधों की जान लेने का खेल भी खेला जाता है

पिछले दिनों बिहार में मध्यान्ह भोजन करने से 422 विद्यार्थीयों की विषबाधा के कारण मृत्यु हुई। इन बच्चों का कोई दोष नहीं होते हुये भी उन्हें मार ड़ाला गया। इस घटना को लेकर एक राजनीतिक दल दूसरे पर दोषारोपण करने के लिए आमादा है। कितनी घिनौनी हो गई यह राजनीति। एक-दूसरे को बदनाम कर अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए यह अमानवीय खेल सर्वथा निंदनीय है। जनता ने ऐसी राजनीति करने वालों को अवश्य सबक सिखाना चाहीये।

भारत में 555 फर्जी मुठभेड़ की घटनायें हुई

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास 1 अप्रैल 2009 से 15 फरवरी 2013 तक 555 फर्जी मुठभेड़ के मामले दर्ज हुये। इनमें से 144 प्रकरणों का निपटारा हुआ और 411 प्रकरणों में से कुछ में पुलिस जांच कर रही है, कुछ अदालतों में लंबित है और कुछ निपटारा करने योग्य नहीं है।

पिछले 4 वर्षों में कुछ राज्यों में हुये फर्जी मुठभेड़ के आंकड़े इस प्रकार है -

उत्तर प्रदेश	-	138
मणिपुर	-	62
आसाम	-	52
पश्चिम बंगाल	-	35
झारखंड	-	30
छत्तिसगढ़	-	29

❧ भारत के ग्रामिण क्षेत्र का सर्वाधिक गरीब केवल 17 रूपये में गुजारा करता है

नेशनल सेंपल सर्वे आर्गेनायजेशन ने जुलाई 2011 से जून 2012 तक 7496 गांवों का (दुरस्थ गांव छोड़कर) तथा 5263 शहरों का सर्वेक्षण किया और अपनी 68 वे राउंड की रिपोर्ट जारी की। इस सर्वेक्षण के नतीजें बड़े ही चौंकाने और शर्मनाक करने वाले है। यह रिपोर्ट राजधानी में बैठकर आर्थिक नीति बनाने वालों की पोल खोलती है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस देश का सर्वाधिक गरीब ग्रामीण केवल 17 रूपये में रोज का गुजारा करता है और सर्वाधिक गरीब शहरी केवल 23 रूपये में रोज का गुजारा करता है। नेशनल सेंपल सर्वे आर्गेनाईजेशन की रिपोर्ट में दर्शायें कुछ तथ्य इस प्रकार है-

5% गरिबी का महिने का औसत खर्च	521.44	700.50
5% अमीरों का महिने का औसत खर्च	4481.00	10282.

	ग्रामिण	शहरी
सभी औसत खर्च	1430.00	2630.00
खाने पर खर्च	52.9%	42.6%
अनाज पर खर्च	10%	9%
दुध पर खर्च	7.9%	7%
सब्जी पर खर्च	6.6	
इंधन पर खर्च	8%	
कपड़े और जुते चप्पल पर खर्च	7%	
दवाई पर खर्च 6.	7%	
शिक्षा पर खर्च	3.5%	
प्रवास के साधनों पर खर्च	4.2%	
उपभोक्ता सेवाओं पर खर्च	4%	
टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च	4.2%	

उपरोक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की स्थिति बहुत बुरी है। शिक्षा जैसे

महत्वपूर्ण क्षेत्र में ग्रामीण सर्वाधिक कम (3.5%) खर्च कर पाते हे। हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते है। उनके हालात इस प्रकार है और देश के कर्णधारों को शर्म तक भी नहीं आती। आयेगी भी नहीं क्योंकि उनकी नीति ही विषमतावादी और जनविरोधी है।

उल्लेखनीय यह है कि, इस देश में सर्वाधिक गरीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ही लोंग है।

❧ भारत की शिक्षा स्तरहीन- सॅम पित्रोदा

प्रधानमंत्री के तकनिकी सलाहकार सॅम पित्रोदाने प्रेसिडेंसी कॉलेज के दिक्षांत समारोह में यह कहा कि, देश के पांच प्रतिशत बड़े विश्वविद्यालयों को छोड़कर बाकी सब विश्वविद्यालयय में शिक्षा स्तरहीन है। उन्होंने कहा कि, चौकट के बाहर विचार करने के लिए वैसी मानसिकता बनानी होती है। सरकार के कुछ मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समयानुरूप बदल नहीं रहें है। उनमें से कुछ लोग तो अंधेरे युग में ही घुम रहे है। संसद में इनके सुधार से संबंधित आठ बिल लंबित है। सुधार और विकास पर ध्यान केन्द्रीत करने की देश की क्षमता पर मुझे चिंता हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भारी सुधार करने की आवश्यकता है ऐसा उन्होंने कहा।

सॅम पित्रोदा ने सरकार के मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रत्यक्ष ब्राह्मणवादी करार दिया। ब्राह्मणवाद परिवर्तन नहीं चाहता इसलिए विकास और सुधार नहीं होता। बुद्ध के अनित्यता के सिद्धात से हम इसे समझ सकते है। बुद्ध ने कहा कि सभी चीजें परिवर्तनशील है। यदि चीजें अपरिवर्तनशील रही तो संसार का विकास रूक जायेगा। प्रकृति के इस नियम के अनुसार व्यक्तिने भी समयानुसार परिवर्तन करना चाहिये तभी विकास संभव है।

❧ भारतीय बौद्ध महासभा (द बुद्धीस्ट सोसायटी आफ इंडिया) के अध्यक्ष पद पर मिराताई का दावा नामंजुर

सन् 1955 में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा 'द बुद्धिस्ट सोसायटी आफ इंडिया' की स्थापना की थी। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके पुत्र यशवंतराव आंबेडकर इस संस्था के अध्यक्ष बने। उनकी मृत्यु 1977 में हुई। उसके बाद मिराताई आंबेडकर इस संस्था की अध्यक्षा बनी। उन्होंने स्वयं को संस्था का अध्यक्ष घोषित किया था। संस्था के नियमों में अध्यक्ष के चुनाव के नियम नहीं थे इसलिए इस प्रकार का अध्यक्ष पद पर दावा नहीं किया जा सकता ऐसी दलिल देकर संस्था के कुछ पदाधिकारीयों ने धर्मदाय आयुक्त ने चुनाव हेतु नियम सम्मिलित कर संस्था का नया संविधान बनाने के निर्देश दिये। उसे मानकर संस्था के महासचिव डॉ. एस. वी. रामटेके ने चुनाव संबंधी नियम का नया संविधान बनाकर धर्मदाय आयुक्त को प्रस्तुत किया, जिसे धर्मदाय आयुक्त ने 1981 में मंजुर किया था। मिराताई ने धर्मदाय आयुक्त के निर्देशों को दिवानी न्यायालय में चनौती दी थी और 1987 में दिवानी न्यायालय ने मिराताई के पक्ष में निर्णय देकर धर्मदाय आयुक्त के निर्देशों को खारिज किया।

दिवानी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अशोक आंबेडकर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका पर उच्च न्यायालय के न्या. ए. एच. जोशी ने दिवानी न्यायालय के आदेश को निरस्त किया और धर्मदाय आयुक्त का आदेश कायम रखा। उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध मिराताई ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की खबर नहीं है। उच्च न्यायालय के प्रभाव के कारण मिराताई अब 'द बुद्धिस्ट सोसायटी आफ इंडिया' की अध्यक्ष नहीं रहेगी और इस संस्था के 1981 में बनाये चुनाव नियमों के अनुसार अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारीयों के चुनाव होंगे।

❧ जाति पंचायतें करती है अंर्तजातिय विवाह करने वालों का जीना हराम

महाराष्ट्र में चल रही जाति पंचायतों की जनविरोधी मनमानी अब खुल रही है। नाशिक निवासी अन्ना हिंगमिरे की बेटी ने अंतर्जातिय विवाह किया। इस कारण स्थानिय जाति पंचायत ने उनका बहिष्कार किया। उन्हें उनकी जाति के किसी भी समारोह में नहीं आने का फर्मान जाति पंचायत ने जारी किया। उनके अलावा उनका साथ देने वाले अन्य 6 परिवारों को भी जाति के किसी समारोह में शामिल होने से मना कर दिया। हद तो तब हुई जब जाति पंचायत के कुछ सदस्यों ने उन्हें सलाह दी कि वें जहर देकर अपनी बेटी को मार ड़ाले या स्वयं आत्महत्या करे। इस पर अन्य ने जाति पंचायत के सदस्यों के विरूद्ध स्थानीय पुलिस चौंकी में शिकायत दर्ज की। उनकी रिपोर्ट के आधारपर पुलिस ने जाति पंचायत के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है।

पिछले दिनों किसन कुंभरकर नामक व्यक्तिने अपनी गर्भवती बेटी की हत्या की थी। किसन कुंभरकर भी अन्ना

हिंगमोरे की ही जाति का है। उसकी बेटी ने भी अंतर्जातिय विवाह किया था। बाद में यह खुलासा हुआ है कि जाति पंचायत के दबाव के कारण ही किसन कुंभरकर ने अपनी बेटी की हत्या की थी।

जाति पंचायत के क्रुर खेल की एक अन्य घटना सामने आयी। 20 वर्ष पूर्व भगवान गवली नामक व्यक्तिने अंतर्जातिय विवाह किया था। वह धुले का निवासी था परन्तु जाति पंचायत के बहिष्कार के कारण वह पिछले 20 वर्ष से गांव छोड़कर पुणे में रह रहा था। यह कितनी बड़ी सजा है कि व्यक्ति को अंतर्जातिय विवाह के कारण 20 वर्षों तक परिवार से दूर रहना पड़ा। अंततः प्रशासन की मदद से वह इतने लंबे अर्से बाद गांव आया और अपने परिवार के सदस्यों से मिल सका।

हिन्दु धर्म की जातिप्रथा यह मुलतः मानव विरोधी है। इस प्रथा के कारण करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है। इसे समाप्त करना ही होगा। तभी भारत में मानवता स्थापित हो सकती है।

❧ भारत में सर्वाधिक कुपोषित

कॅनडा के 'माइक्रो न्युट्रोयंट इनिशियटीव' संस्था ने सर्वेक्षण करने पर यह पाया कि, संसार के कुपोषित लोगों में अकेले भारत के 40 प्रतिशत लोग है। यह संख्या भारत के मुकाबलेगरीब माने जाने वाले देश नेपाल और बंग्लादेश से भी अधिक है।

माइक्रो न्युट्रीयंट इनिशियटीव संस्था के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषण पर मात करने के लिए अनेक योजनायें बनाई है परन्तु उनपर अमल नहीं किया जाता। इस संस्था का यह निष्कर्ष एकदम सही है। भारत में योजना तो बनाई जाती है परन्तु उनपर अमल नहीं होता है। लोगों को लुभाने के लिए अनेक योजनायें, न केवल स्वास्थ के क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्र में भी बनी है, परन्तु उन पर अमल नहीं होता। संसद में बिल पारित होते है, कानून बनते है परन्तु उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। यह केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण हो रहा है। 'जनता के हित की बात करो परन्तु उनके हित में काम मत करो' इस ब्राह्मणवादी नीति के कारण भारत की हर क्षेत्र में दयनीय स्थिति है।

❧ केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद नहीं भरना चाहती

पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारीयों के 75,000 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया था। परन्तु केवल 47,000 पद ही भरे गये। हमारे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को लुभाने के लिए निर्णय लिए जाते है परन्तु उन पर अमल नहीं किया जाता है। वास्तव में सरकार इन वर्गों का भला करना ही नहीं चाहती।

सर्वाधिक भयानक बात तो यह है की प्रधानमंत्री कार्यालय मिलाकर केन्द्र सरकार के 67 विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के कितने पद रिक्त है, यही जानकारी नहीं, तब उन्हें भरने की बात तो दूर है। भारत में इन वर्गों के लोग बहुसंख्यक है और उन्हीं के मतों के कारण सरकार बनती है परन्तु उन्हीं के हित की बात नहीं होती तब क्या यह लोग ऐसी सरकार को अपनी सरकार कह सकते है। सन् 2014 में चुनाव है। चुनाव के बाद फिर सरकार बनेगी परन्तु इन वर्गों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि इस देश की व्यवस्था ही ब्राह्मणवादी है।

❧ संसद भवन और मुंबई में हुये हमलों के पीछे सरकार का हाथ

13 दिसबंर 2001 में संसद पर हुये हमले के पीछे और 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुये हमले के पीछे सरकार का हाथ था यह दावा गुजरात कॅडर के आय.पी.एस. अधिकारी और इशरत जहां प्रकरण में जांच करनेवाली सीबीआई-एसआईटी टीम के अधिकारी सतिश वर्मा ने किया था। यह जानकारी केन्द्रीय गृह मंत्रालय में रह चुके अपर सचिव और अब नगर विकास मंत्रालय में कार्यरत आर.बी.एस.मणी ने दी। मणी जब गृह मंत्रालय में थे तब इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ प्रकरण में न्यायालय में प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत किया था उस पर उनके हस्ताक्षर थे। इस प्रकरण के संबंध में जब वह 22 जून को गांधीनगर में थे उस वक्त सतिश वर्मा ने उन्हें यह बात बताई थी।

आर.वी.एस.मणी ने यह बताया कि, सतीश वर्मा का अपना दावा उचित है इस संबंध में कहा था कि, संसद पर हमला पोटा कानून को मजबुत करने के लिए किया गया था तथा मुंबई पर हमला युएपीए (गैरकानूनी कृत्य प्रतिबंधक कानून) को मजबुत करने के लिए किया गया था। इन हमलों के बाद इन कानूनों को मजबुती मिली.

वास्तविकता क्या है यह तो जांच एजेन्सियां ही जानती

होगी। परन्तु मुंबई हमले में करकरे और अन्य पुलिस अधिकारी मारे गये उसके पिछे आई.बी.का हाथ था इसे तत्कालिन पुलिस आयुक्त मुश्रीफ ने कहा था।

❧ तथ्यों के आधार पर गुजरात विकास का मॉडल नहीं

न्या. काटजू ने कहा था, भारत में 80 प्रतिशत लोग मुर्ख है। इसलिए चतुर लोग (धुर्त लोग) उन्हें मुर्ख बनाते रहते है और अपना हित साध्य करते रहते है। यह धुर्त लोग मुर्ख बनाने के लिए अलग-अलग साधनों का उपयोग करते है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपनी प्रसिद्धी के लिए और गुजरात को विकास का मॉडल बताने के लिए मिडिया (प्रचार माध्यम) का उपयोग किया। 17 अगस्त 2013 को लोकमत समाचार पत्र में अर्थशास्त्री भालचंद्र मुनगेकर द्वारा गुजरात और अन्य राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े जारी किये वें इस प्रकार है -

क्षेत्र	गुजरात	अन्य राज्य
1) प्रतिवर्ष उत्पादन में बढ़त (2005 से 2009)	12.65	उड़ीसा 17.5 छत्तिसगढ़ - 13.30
2) प्रतिव्यक्ति वार्षिक उत्पादन (2010-2011) (तिसरा क्रमांक)	51.708	महाराष्ट्र -प्रथम हरियाना- दूसरा
3) प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन (2005-06 से 2011-12)	6.74	बिहार - 15.17
4) औद्योगिक उत्पादन	10.90	बिहार - 16.73 उत्तराखंड - 15.65 महाराष्ट्र - 11.02
5) औद्योगिक ईकाई का दर	10.55	उत्तराखंड - 25.92 ओरिसा - 14.03 हिमाचलप्रदेश - 13.57 मध्यप्रदेश - 10.86 जम्मू कश्मीर - 10.79
6) सेवाक्षेत्र में विकास दर .	11.10	उत्तराखंड़ - 14.77 हरियाणा - 12.90 झारखंड - 11.93 हिमाचल प्रदेश- 11.44 बिहार, छत्तिसगढ़, महाराष्ट्र, उड़िसा - 11.10
7) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (देश के संम्पूर्ण विदेशी निवेश के प्रमाण में) (अप्रैल 2010 से जून 2012)	4.5%	महाराष्ट्र - 32% दिल्ली - 19%
8) बैकींग क्षेत्र (2010) (राष्ट्रीय बचत की तुलना में)	4.7%	महाराष्ट्र - 26.60
9) बैंक द्वारा दिया गया कर्ज (कुल कर्ज का प्रतिशत)	4.5	महाराष्ट्र - 29.75% आंध्रप्रदेश, राजस्थान कर्नाटक, पंजाब का प्रतिशत गुजरात से बहुत अधिव
10) बैंक में प्रतिव्यक्ति बचत और कर्ज	बचत - 37,174 रू. कर्ज-24,268 रू.	महाराष्ट्र बचत - 1,01,085 रू कर्ज - 89,575 रू. तामिलनाडू और केरल में गुजरात से अधिक तामिलनाडू, कर्नाटक और केरल में गुजरात से अधिक
11) गरिबी रेखा के निचे जीवन यापन करनेवाले लोग	26.07%	पंजाब - 14.06% हरियाना - 18% आंध्रपदेश -22.08 % तामिलनाडू - 21.02% केरल - 12% हिमाचलप्रदेश - 9%
12) प्रतिव्यक्ति खर्च (2011-12) (ग्रामिण)	रू. 1,430	आंध्रप्रदेश रू.1,568 (ग्रा.)

	रू. 2,472 (शहरी)	2,559 (श.)
हिमाचल प्रदेश	- 1,800 (ग्रा.)	3,173 (श.)
हरियाणा	- 1,925 (ग्रा.)	3,346 (श.)
पंजाब	- 2,355 (ग्रा.)	3,044 (श.)

13) मानव निर्देशांक (2008)	0.527	हरियाणा - 0.552
		महाराष्ट्र - 0.572
		पंजाब - 0.605
		हिमाचल प्रदेश - 0.652
		केरल - 0.790
14) शिक्षा	देश में 7 वां	-
15) स्त्रियों की अस्पतालों में प्रसुति	56%	महाराष्ट्र - 64%
		कर्नाटक - 65%
		आंध्रप्रदेश - 71%
		केरल - 99%

अमेरिका में संघ परिवार

अमेरिका में 30 लाख से अधिक भारतीय निवास करते है। व्यवसाय में सफलता के कारण उनकी घरेलु आय अमेरिका निवासीयों की आय से लगभग दुगनी है। इनमें हिन्दू बड़ी तादाद में है। यह अमेरिकन हिन्दू भारत के नेताओं और संघ परिवार को बड़ी तादाद में धन भेजते है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पर अमेरिका में बसे इन हिन्दुओं से बड़ी तादाद में चंदा इकठ्ठा किया गया था। उसके बाद इंडिया डेवलपमेन्ट एण्ड रिलिफ फंड तथा अन्य माध्यमों से लाखों डालर संघ परिवार के सेवा भारती और वनवासी कल्याण आश्रम को भेजे गये।

संघ परिवार ने अमेरिका में अपनी जड़े मजबुत कर ली है। अमेरिका में सर्वप्रथम विश्व हिन्दू परिषद को स्थापित किया गया तथा उसके बाद हिन्दू स्वयंसेवक संघ (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दूसरा रूप) स्थापित किया गया। जबकि भारत में पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापित हुआ और बाद में विश्व हिन्दू परिषद। विश्व हिन्दू परिषद अमेरिका (VHPA) जब 1970 में अस्तित्व में आयी तो उसके सदस्य कुछ मंदिरों में तथा स्वामीनारायण संप्रदाय (गुजरात के) आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, चिन्मयानंद (वि.हि.प. के संस्थापकों में से एक-1964). विश्व हिन्दू परिषद अमेरिका में बहुत अधिक बढ़ गई जिसका अनुमान उसके द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम ग्लोबल विजन-2000 से लगाया जा सकता है। विश्व हिन्दू परिषद अमेरिका में सफल होने का कारण यह है कि उसके द्वारा अमेरिका में निवास कर रहे हिन्दुओं को सांस्कृतिक परम्परा दी गई जिसका उन्हें अभाव था। वि.हि.प. अमेरिका न केवल त्यौंहार मनाती है बल्कि गर्मी में शिविर आयोजित करती है और बच्चों की क्लासेस लगाती है जिसमें बच्चों को हिन्दुत्व की शिक्षा देती है। वह प्रसार माध्यमों का उपयोग करती है, साहित्य निर्माण करती है और वितरित करती है। हिन्दुओं को इकठ्ठा होने के लिए उल्लास और लिवरमोर, कॅलिफोर्निया में भव्य मंदिर भी बनाये गये।

अमेरिका संघ की परवाह विश्व हिन्दू परिषद अमेरिका की वजह से नहीं करती बल्कि आर्थिक कारणों से करती है। वह मोदी की परवाह इसलिए करती है कि अमेरिका के बसे लगभग 7 लाख गुजरातीयों के पास 40 प्रतिशत होटल व्यवसाय है। संदेश नामक गुजराती अखबार अब अमेरिका में साप्ताहिक के रूप में निकाला जाता है और उसके काफी सदस्य है। इन गुजरातीयों में मोदी के बड़े समर्थक है। स्वयं मोदी के अमेरिका के हिन्दुओं से पुराने संबंध है क्योंकि वें आपातकाल के समय प्रजातंत्र के नाम पर विदेशी सहायता इकठ्ठा करने का काम करते थे। अमेरिका में रहने वाले हिन्दू भारतीय जनता पार्टी तथा मोदी के समर्थक है। अब तो मोदी का भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। सन् - 2014 में होने वाले चुनाव में अमेरिका में बसे हिन्दुओं के धन को बड़े पैमाने पर खर्च किया जायेगा, इसमें संदेह नहीं है।

डॉ. आंबेडकर के कोलंबिया युनिवर्सिटी प्रवेश की शताब्दी समारोह अमेरिका में मनाई जायेगी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने सन् - 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। उनकी उच्चशिक्षा यहीं से प्रारंभ हुई थी। इसे 100 वर्ष पूरे हो रहे है इसलिए न्युयार्क के भारतीय वाणिज्य दुतावास द्वारा शताब्दी समारोह का आयोजन किया जायेगा। इस प्रकार की घोषणा न्युयार्क में स्थित भारतीय दूत ध्यानेश्वर मुलय ने की।

विदेशों में विद्वता की किमत होती है और भारत में जाति की। अमेरिका बाबासाहेब की विद्वता को मानता है, शायद इसलिए इस समारोह का आयोजन भारत सरकार की ओर से अमेरिका में दिखावे के लिए किया जा रहा है। भारत को जिस महान व्यक्ति ने संसार में सबसे अच्छा संविधान दिया उसके

उच्चशिक्षा प्रारंभ की शताब्दी भारत में नहीं मनाई जायेगी।

मध्यप्रदेश में भाजपा और सहयोगी संगठनों को जमीनें बांटी गई परन्तु अन्य सामाजिक संगठनों को नहीं

वर्ष 2005 से 2010 के बिच मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने अपनी पार्टी सहयोगी संगठन और संस्थाओं को दिल खोलकर सरकारी जमीने रिआयती दर पर या मुफ्त में बांटी है। जिन संगठनों को जमीनें बांटी गई उनकी जानकारी इस प्रकार है-

1) ग्राम भारती शिक्षा समिति, शहपुर - 8.375 हेक्टयर
2) सेवाभारती समिति, मध्यभारत, शहपुर - 51,680 वर्गफुट
3) सेवाभारती, उमरिया - 4,000 वर्गफुट
4) सेवाभारती, अनुपपुरा -11,745 वर्गफुट
5) बप्पा रावल शिक्षा समिति, मदाना - 0.618 हेक्टयर
6) माधवस्मृति शिक्षा समिति, आष्टा -1,30,680 वर्गफुट
7) हेगड़ेवार जन्मशताब्दि स्मृति सेवा, उज्जैन - 450 वर्गफुट
8) एबीविपी, सुभाष नगर, जबलपुर - 6,983 वर्गफुट
9) सेवाभारती, श्योपुर - 5 बिघा
10) आदिवासी विकास परिषद, बैहर - 5,000 वर्गफुट
11) ग्रामभारती शिक्षा समिति, राजगढ़ - 0.325 हेक्टयर
12) नव उदय चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्वालीयर -10.084 हेक्टयर
13) अमरज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्वालियर - 0.677 हेक्टयर
14) रामकृष्ण एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, भोपाल - 15 एकड़
15) धीरूभाई अंबानी मेमोरियल ट्रस्ट - 125 एकड़
16) सरस्वति शिशु मंदिर, भोपाल - 60 एकड़
17) सरस्वति शिशु मंदिर, धमनार - 1 हेक्टयर
18) सरस्वति शिशु मंदिर, नौगांव - 0.672 हेक्टयर
19) सरस्वति शिशु मंदिर, उज्जैन - 0.40 हेक्टयर
20) सरस्वति शिशु मंदिर, मंदसौर -10,000 वर्गफुट
21) सरस्वति शिशु मंदिर, चंदेरी - 1.04 हेक्टयर
22) सरस्वति शिशु मंदिर, मंडला - 0.10 हेक्टयर
23) सरस्वति शिशु मंदिर, टिकमगढ़ - 0.609 हेक्टयर
24) सरस्वति शिशु मंदिर, सतना - 7.14 एकड़
25) सरस्वति शिशु मंदिर, हरदा -14,385 वर्गफुट
26) सरस्वति शिशु मंदिर,मंदसौर - 0.819 हेक्टयर
27) सरस्वति शिशु मंदिर, अनुपपुर - 1.54 एकड़
28) सरस्वति शिशु मंदिर, ग्वालियर - 96,125 वर्गफुट
28) सरस्वति शिशु मंदिर, होशंगाबाद - 2 एकड़
29) सरस्वति शिशु मंदिर, मंदसौर - 1.1 हेक्टयर
30) सरस्वति शिशु मंदिर, अमरकंटक - 7.50 एकड़
31) सरस्वति शिशु मंदिर, मंदसौर - 2 हेक्टयर
32) सरस्वति शिशु मंदिर, मंदसौर -95,583 वर्गफुट
33) सरस्वति शिशु मंदिर, सागर -86,111 वर्गफुट
34) सरस्वति शिशु मंदिर, सागर -2,15,270 वर्ग.
35) सरस्वति शिशु मंदिर, मंदसौर -10,000 वर्गफुट
36) सरस्वति शिशु मंदिर, अनुपपुर - 1.54 एकड़
37) भाजपा कार्यालय, होंशगाबाद -10,000 वर्गफुट
38) भाजपा कार्यालय, बेंहर - 4,000 वर्गफुट
39) भाजपा कार्यालय, बालाघाट - 5,000 वर्गफुट
40)भाजपा कार्यालय,सारंपुर - 2,000 वर्गफुट
41) भाजपा कार्यालय, मुरैना - 8,000 वर्गफुट
42) भाजपा कार्यालय,लखनादौन - 2,200 वर्गफुट
43) भाजपा कार्यालय,सागर -11,750 वर्गफुट
44) भाजपा कार्यालय, जबलपुर - 70,000 वर्गफुट
45) भाजपा कार्यालय, खंडवा - 7,500 वर्गफुट
46) भाजपा कार्यालय, पिपरिया - 10,000 वर्गफुट
47) भाजपा कार्यालय, शहड़ोल -10,000 वर्गफुट
48) भाजपा कार्यालय, कटनी - 10,000 वर्गफुट
49) भाजपा कार्यालय, सीधी - 4,800 वर्गफुट
50) भाजपा कार्यालय, डिंडोरी - 1,200 वर्गफुट
51) भाजपा कार्यालय, छतरपुर - 4,000 वर्गफुट
52) भाजपा कार्यालय, मुलताई - 5,815 वर्गफुट
53) भाजपा कार्यालय, दमोह - 5,400 वर्गफुट
54) भाजपा कार्यालय,टिकमगढ़ - 3,952 वर्गफुट
55) भाजपा कार्यालय,हरदा - 7,820 वर्गफुट
56) भाजपा कार्यालय, झांबुआ - 3,240 वर्गफुट

कोई भी सरकार निष्पक्ष होनी चाहिये ऐसी धारणा है परन्तु मध्यप्रदेश सरकार निष्पक्ष नहीं है। वह भेदनिति के तहत शासन कर रही है। उसने संघ परिवार से संबंधित नहीं ऐसी समस्त संस्थाओं को जमीन नहीं आबंटीत की है। छिन्दवाड़ा जिले के काजलवाणी ग्राम स्थित 32 हेक्टयर की भूमि आबंटन हेतु बुद्ध धम्म प्रचार समिति ने 2004 में आवेदन दिया था। जिला प्रशासन ने झुठे कारण देकर समिति का

आवदेन 2006 में निरस्त कर दिया । 2007 में सत्य स्थिति का विवरण देकर समिति ने पुनः आवेदन किया। अनेक पत्र लिखे, कलेक्टर और कमिश्नर से मिले परन्तु अब तक भूमि आबंटीत नहीं की गई है। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते है। संविधान के अनुसार सरकारें चलती है ऐसा कहा जाता है वह संविधान समता पर आधारित है। परन्तु वास्तविकता यह है कि वर्ण तथा जातिय विषमता के आधार पर सरकारें काम करती है।

ललितपुर के पास देवगढ़ में तथागत बुद्ध की दुर्लभ मुर्तियां मिली

उत्तरप्रदेश के ललितपुर जनपद में देवगढ़ की गुफाओं में तथागत बुद्ध की दुर्लभ मुर्तिया मिली है। इस बुद्ध गुफा में एक मुर्ति भित्तीचित्र के रूप में है। थाईलैंड में इस तरह की मुर्ति बनवाई गई है परन्तु गुफाओं में इस तरह की मुर्ति पहली बार मिली है। इसे देश की महान उपलब्धी माना जा सकता है। सरकार इन मुर्तियों को अच्छी तरह संरक्षित करे तो देवगढ़ में इन मुर्तियों को देखने के लिए दुनियाभर के लोग आयेंगे और यह एक अच्छा पर्यटन स्थल बन जायेगा।

३ अनु.जाति, अनु.जनजाति और ओबीसी के आरक्षण संबधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर संसद में टिप्पणी

सुपर स्पेशालिटी कोर्स के लिए इंजिनियरींग, मेडिकल कॉलेजों में (एम्स सहीत) भर्ती तथ पदोन्नती में आरक्षण नहीं देना चाहिये ऐसा निर्णय पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। इस निर्णय के कारण देश के आरक्षण निती पर आघात हुआ है ऐसा मत व्यक्त करते हुये जद (यू) के सांसद शरद यादव ने लोकसभा अध्यक्ष मिरा कुमार से मांग की कि, इस विषय पर संसद में गम्भीर चर्चा होनी चाहिये। बसपा सुप्रिमो मायावती और उस पार्टी के अन्य सांसदों ने मांग की कि आरक्षण संबंधीत विधेयक जल्दी पास किया जाये और संविधान में संशोधन किया जाने। इस संबंध में संशोधन विधेयक राज्य सभा में पारित किया गया है। और लोकसभा में पारित होना है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने सचेत किया था कि इस देश की पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और न्यायाधीस मनुवाद से ग्रसित है. और उनसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के आरक्षण विरोधी निर्णय से बाबासाहेब द्वारा कहीं गई बात सही साबित हुई।

मध्यप्रदेश में धर्म परिवर्तन के लिए अनुमति जरूरी

मध्यप्रदेश सरकार ने 2006 में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक बनाया था। इस विधेयक के अनुसार धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ती ने संबंधीत जिला मेजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देने के लिए बाध्य किया गया था। यदि ऐसा नहीं किया गया तो एक हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था । इसी प्रकार धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ती का नाम, पता तथा धर्म परिवर्तन के दिन की तारिख, समय तथा स्थान की सूचना संबधींत जिल्हा मॅजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य किया गया था। तथा ऐसा न करने पर 1 वर्ष तक का कारावास और 5000 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया था।

अब 28 जून 2013 को धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक पुनः पारित किया। इस विधेयक के अनुसार धर्मपरिवर्तन हेतु ईच्छुक व्यक्ती ने जिला मेजिस्ट्रेट को आवेदन कर अनुमति लेनी होगी और धर्म परिवर्तन के बाद जिलां मेजिस्ट्रेट को सुचित करना होगा अन्यथा इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक का कारावास और 1000 रूपये तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा जो धर्म परिवर्तन कराता है उसने नियमों का उल्लंघन करने पर उसे 3 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रूपये तक का जुर्माना होगा। यदि अल्पवयीन, स्त्री, अनु.जाति या अनु. जनजाति के संबंध में नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 4 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रूपये तक का जुर्माना होगा।

भारत की जनता अब जागृत हो रही है। वह हिन्दु धर्म की विषमता और अमानविय शिक्षा को समझ रही है और ऐसे धर्म से छुटकारा पाना चाहती है। कुछ लोगोंने तो धर्म परिवर्तन कर हिन्दु धर्म को त्याग दिया है और दुसरा धर्म स्विकार कर मुक्त हुये है। हिन्दु धर्म की असलियत जानने के बाद लोग धर्म परिवर्तन कर रहे है, इसलिए हिन्दु धर्म के ठेकेदारों में घबराहट हुई है। धर्म स्विकार करने की संवैधानिक स्वतंत्रता के कारण वें कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए राज्य सरकारों के माध्यम से ऐसे अधिनियम बनाकर, शर्ते,लागू कर भयभित करने की कोशिश की जा रही है परन्तु अब वे अधिक सफल नहीं होंगे। जागृत लोगों ने अब इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और लाखों लोगों के साथ मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ही धर्म परिवर्तन करना चाहिये।

भारत के दुराचारी राजनितीबाज

असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटीक रिफार्मस् और नॅशनल इलेक्शन बॉच द्वारा 2004 से विधान सभा तथा लोकसभा चुनाव लड़े ऐसे प्रत्याशीयों की जानकारी हासिल की उनमें चुने गये। 8790 विधायकों और सांसदो से संबंधीत तथ्य निम्मानुसार पाये गये।

चुनाव जितने के आसार

1. भयंकर अपराध करने वाले प्रत्याशी - 23 %
2. साफ छवी वाले प्रत्याशी - 12 %
3. साफ छवी वाले निर्दलीय प्रत्याशी - 1 %

क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशीयों की स्थिति

साफ छवी प्रत्याशीयों के चुनाव जितने के आसार		अपराधीक छवी के प्रत्याशीयों के चुनाव जितने के आसार	
बिजु जनता दल	- 85 %	बिजू जनता दल	- 75%
अन्ना डी.एम.के	- 51 %	अन्ना डी.एम.के	- 73 %
डी.एम.के	- 48 %	डी.एम.के	- 59 %

शिक्षा और अपराध के प्रकरणों के बिच संबंध

12 वी कक्षा पास या उससे कम शिक्षित विधायक और सांसद (3406) - 39 प्रतिशत

ऐसे विधायक और सांसदों में से अपराधीक प्रकरणों वाले (1139) - 33 प्रतिशत

(इनमें 553 के विरूद्ध भयंकर अपराध दर्ज है

अपराधी महिला विधायक

अपराधी महिला विधायक (675 - 16 प्रतिशत

भयंकर अपराध वाली महिला विधायक - 6 प्रतिशत

भयंकर अपराध वाले विधायक और सांसदों के लंबित प्रकरणों की अवधी

10 वर्ष से अधिक से लंबित प्रकरणो वाले - 25 विधायक
- 15 सांसद

22 वर्ष से लंबित प्रकरण - 1) विठ्ठलभाई रडाडीया, भाजपा सांसद (पोरबंदर, गुजरात
- 2) वेनुगोपाल रेड्डी मुदगल, देलगु देशम पार्टी सांसद (नरसरावपेट, आंध्रप्रदेश)

24 वर्ष से लंबीत प्रकरण - हरीन पाठक, भाजपा सांसद (अहमदाबाद पुर्व, गुजरात)

28 वर्ष से लंबीत प्रकरण - रामेश्वर सिंह, विधायक, समाजवादी पार्टी (अलीगंज, उत्तरप्रदेश)

(उपरोक्त तथ्य यह साबित करते है कि, राजनितीक ताकत के बल पर न्यायालयों को रोका जाता है)

प्रत्याशियों के धन में वृद्धी

4/81 प्रत्याशीयों ने दुबारा चुनाव लड़ने के समय उनकी संपत्ती में हुई वृद्धी (अर्थात् राजनिति में धन बढ़ता है)

200 प्रतिशत संपत्ती में वृद्धी वाले प्रत्याशी	-	1615
500 प्रतिशत	-	684
800 प्रतिशत	-	420
1000 प्रतिशत	-	317

धन और अपराध के बिच संबंध

6.02 करोड की औसत संपत्ती वाले प्रत्याशीयों में से 25 प्रतिशत के विरूद्ध अपराधिक मामले है। चुने गये 8 प्रतिशत विधायकों के विरूद्ध भयंकर अपराधिक मामले है जिनको औसत संपत्ती 17.34 करोड़ है।

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

ग्रीनलैंड शेल्टर प्रा. लि.

F-1 से F-2, R-44, किशन आर्केडा

झोन - 1, एम पी नगर, भोपाल,(म.प्र) 462011

सांची रोड पर विकसीत प्लाट उपलब्ध है।

30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत डाऊन पेमेंट शेष राशी बिना ब्याज के 3 से 3 साले के किश्तों में व 5 एकड़ की विकसित कालोनी में सर्व सुविधायुक्त

राहुल रंगारे,
डायरेक्टर

मो. 9893690451,9826063966
इमेल -Email:rahulrangare@redifmail.com

न्यायपालिका

१. मिर्चपुर के दलित विस्थापितों को मिर्चपुर में ही बसाया जाय

सन् 2010 में हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव की दलित बस्ती को सवर्णों ने जला दिया था। जिसमें एक वृद्ध और उसकी अपंग बेटी की मृत्यु हुई थी। भयभीत दलित मिर्चपुर से भाग गये थे और अन्यत्र बस गये थे। मिर्चपुर प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान हरियाणा के अतिरिक्त न्यायमुर्ति जनरल मनजित सिंह दलाल ने बताया कि मिर्चपुर के पिड़ीत दलितों का अन्यत्र पुनर्वसन करना कठीन है तब न्या. जी.एस. सिंघवी और वी. गोपाल गौडा की खंडपिठ ने यह निर्देश दिया कि, समाजसेवी संस्थायें पिड़ीत दलितों को मिर्चपुर में वापीस लाने की कोशीश करें।

सर्वोच्च न्यायालय का इस प्रकार का निर्णय बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रतित होता है क्योंकि मिर्चपुर में वे सुरक्षित नहीं रह सकते।

कॉपिटेशन शुल्क गैरकानुनी

सर्वोच्च न्यायालय के न्या. के. एस. राधाकृष्णन और न्या.ए.के. सिकरी की खण्डपिठ ने निर्णय दिया कि निजी यांत्रिकी (तकनिकी) महाविद्यालय और वैद्यकीय महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थीयों से कॅपिटेशन शुल्क वसुल करना कानुन और नैतिकता की दृष्टि से ठीक नहीं है। और केन्द्र सरकार ने इसे रोकने के लिए कानुन बनाना चाहिये।

बरेली के एक निजी वैद्यकीय महाविद्यालय द्वारा मेडीकल काऊंसील आफ इंडिया से कॉलेज में विद्यार्थीयों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी, उसे नामंजुर कर दिया गया था। मेडीकल काऊंसील आफ इंडिया द्वारा उस निजी कॉलेज की मांग को नामंजुर करने के आदेश के विरुद्ध कॉलेज प्रबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका को खारिज करते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विद्यार्थीयों की संख्या बढ़ाने की मांग विद्यार्थीयों के भलाई के लिए नहीं बल्की निजी कॉलेजों की भलाई के लिए है। अपनी कमाई बढ़नी चाहिये इसलिए निजी कॉलेज विद्यार्थीयों की संख्या बढ़ाने की मांग करते है। इस कॉपेटेशन शुल्क की मांग के कारण होशियार परन्तु गरीब विद्यार्थी प्रवेश पाने से वंचित रह जाते है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि, इन निजी कॉलेजों में शिक्षा का स्तर घट रहा है। इन कॉलेजों में मुलभुत सुविधा और वैद्यकीय सामग्री का अभाव होने के बावजुद लाखों रूपये कॅपीटेशन शुल्क मांगी जाती है। न्यायालय ने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सीबीआई को इस अनैतिक व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाने के लिए कारगर कदम उठाने को कहा है।

सर्वोच्च न्यायालयाने (NEET) परीक्षा को खारिज किया

सर्वोच्च न्यायालय के न्या. अल्तमस कबिर, न्या. विक्रमजीत सेन और न्या. ए. आर. दवे के खण्डपिठ ने सभी मेडीकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस, बी.डी.एस. और पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स के लिए ले जानेवाली नॅशनल इलिजीबीलीटी कम एन्टरन्स टेस्ट (NEET) को खारिज किया। न्यायालयाने मेडिकल काऊंसील आफ इंडिया द्वारा जारी नोटी फिकेशन को निरस्त किया। नीट परीक्षा में सफलता के बाद ही देश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलता था। इस आदेश के बाद निजी कॉलेज अपनी स्वतंत्र परिक्षा लेकर अपने कॉलेजों में प्रवेश दे सकेंगे। निर्णय में यह कहा गया कि, कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा से राज्य सरकार और निजी संस्थाओं के अधिकारों का हनन होगा। मुख्य न्यायाधीश न्या. अल्तमस कबिर के इस आशय का न्या. विक्रमजित सेन ने समर्थन किया परन्तु न्या. ए.आर. दवे ने विरोध किया। न्या. दवे का यह मानना था कि पुरे देश में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा होने के कारण उस परीक्षा में सफलता के आधार पर ही सभी कॉलेजों में प्रवेश दिया जायेगा जिससे निजि कॉलेजों में प्रवेश के लिए पैसा देने पर रोक लगेगी और प्रतिभावान विद्यार्थीयों को लाभ मिलेगा।

सर्वोच्च न्यालय के (NEET) विरोधी आदेश के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका

नेट परीक्षा (NEET) समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार होनी चाहिये इसलिए 'संकल्प' नामक गैरसरकारी संगठन ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से याचिका दायर की है जारी करने के पूर्व न्यायाधिशों में आपसी चर्चा होना चाहिये। परन्तु चूंकि मुख्य

न्यायाधीश कुछ ही दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले थे इसलिए जल्दबाजी में न्यायाधिशों के बिच चर्चा नहीं हो सकी। इस मुद्दे को लेकर तथा निजी कॉलेजों के भ्रष्टाचार को लेकर याचिका दायर की गई है।

आपराधिक प्रकरणों में दोषी राजनिति बाजों पर पुनर्विचार याचिका खारिज

पिछले दिनों 10 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि, सांसद और विधायक को यदि 2 वर्ष की सजा यदि सुनाई गई हो तो वह तुरंत प्रभाव से अयोग्य होगा तथा किसी नेता को यदि आपराधिक कृत्य के कारण गिरफ्तार किया गया हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। केंन्द्र सरकार ने इस निर्णय के विरूद्ध पुनर्विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर न्या.ए.के. पटनाईक और न्या. एस.जे. मुखोपाध्याय की खंडपिठ ने निर्णय दिया कि, संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखकर सांसद और विधायक को 2 वर्ष या अधिक सजा होने पर अपात्र ठहराने का निर्णय उचित था इसलिए उस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। न्यायालयाने कहा कि रिप्रेजेंटेशन आफ पिपल्स एक्ट भ्रमित करने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने के पिछे न्यायालय का यह उद्देश था कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव से बाहर रहे।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि, गिरफ्तार किये गये नेताओं को चुनाव लड़ने से बाहर रखने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद चाहे तो इस संबंध में विधेयक पारित कर सकती है।

न्याय महंगा हुआ-सर्वोच्च न्यायालय की स्विकृति

सर्वोच्च न्यायालय के न्या. बी.एस.चौहान और न्या. एस.ए.बोबडे के खण्डपिठ ने यह चिंता व्यक्त की है कि, न्यायालयों में प्रकरण चलाना इतना महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि, एक समय था जब वकालत को सर्वाधिक प्रतिष्ठा, प्राप्त थी, परन्तु अब वह व्यवसाय बन चुका है। गरीबों को अब न्याय मिलना सम्भव नहीं है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के लिए खर्च करना उसकी क्षमता से बाहर हो चुका है। मरते दम तक न्याय नहीं मिलेगा ऐसी लोगों की धारणा हो रही हैं। न्यायपालिका में न्यायाधिशों के समान वकिलों की भी जिम्मेदारी है। न्याय दिलाना व्यापार नहीं है। वकील न्यायालय का अधिकारी है इसलिए न्यायालय का काम सही चलें यह उसकी भी जिम्मेदारी है। मुसीबत में फंसे और न्याय की आशा रखनेवाले व्यक्ति का विश्वास टिका रहे यह वकिलों की जिम्मेदारी है। वह पिड़ितों का शोषण नही कर सकता। प्रकरण को बगैर कारणों से लंबे समय खींचना यह पिड़ित को अपने जाल में फंसाये रखने जैसा हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड की भी खींचाई की है। एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड ऐसे वकिल है जिन्हें न्यायालय में याचिका दाखिल करने की पात्रता होती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिक्षा लेकर उन्हें नियुक्त किया जाता है। न्यायालय ने कहां कि वह न्यायालय में हाजिर नहीं होता है। वह कोई मेहमान कलाकार नहीं है। याचिका पर हस्ताक्षर करने के बाद नदारद होना यह सर्वसाधारण व्यक्ति को फंसाना है। ऐसा आचरण एडवोकेट ऑन रेकार्ड को शोभनिय नहीं है।

कानुन की गलती मानकर सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना आयुक्त की नियुक्ती पर दिया गया निर्णय वापस लिया।

पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि सुचना आयुक्त या मुख्य सुचना आयुक्त के पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधिशों की नियुक्ति की जाये. इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के न्या. ए.के.पटनायक और न्या.ए.के. सिक्री के खण्डपीठ ने न्याय की गलती मानकर वापस लिया है। न्यायालय ने सुचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ती के लिए निम्नलिखित निर्देश दिये है।

1. कानुन, विज्ञान, तकनिकी, समाजसेवा, व्यवस्थापन (प्रबन्धन) पत्रकारिता, सुचना तथा प्रसारण माध्यम या शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले और कार्य का दिर्घ अनुभव रखने वाले व्यक्ती को ही सुचना आयुक्त या मुख्य सुचना आयुक्त पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये।
2. इस कार्य के लिए बनाई गई नियुक्ति समिती ने उपरोक्त में से किसी एक क्षेत्र में पात्रता नहीं तो सभी क्षेत्रों में पात्रता का विचार करना चाहिये.
3. राज्यपाल या राष्ट्रपती को नाम की शिफारिस करते वक्त उस व्यक्ती के नाम के आगे उस व्यक्ति के

कार्य तथा अनुभव का उल्लेख करना चाहिये और इस संबंध से लोगों ने यदि उसकी जानकारी सुचना का अधिकार के तहत मांगी तो वह जानकारी उन्हें देनी चाहिये।

4. सुचना आयोग के समक्ष यदि कानुन से संबंधित कोई पेचिदा मामला है तो उसे कानुन का ज्ञान रखने वाले आयुक्त को सौंपना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उच्च न्यायपालिका में आरक्षण नहीं हो सकता

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायपालिका में सभी वर्गो का प्रतिनिधीत्व होना चाहीये परन्तु उसके लिए आरक्षण नहीं हो सकता।

जेल्ला लिंगयाह द्वारा दाखिल की गई जनहीत याचिका को खारिज करते हुये न्यायालय ने यह निर्णय दिया। इस याचिका में यह कहा गया था कि उच्च न्यायपालिका में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिनिधीत्व हो इसलिए न्यायालय सरकार को निर्देश दे। न्या. टी.एस. ठाकुर द्वारा अध्यक्षता की गई खंडपीठ ने यह माना कि इन वर्गों के लोगों को न्यायपालिका में उचित प्रतिधिनित्व नहीं मिलता। उन्होंने यह भी कहा कि सभी वर्गों के लोगों में क्षमता है और नियुक्ति के लिए अधिकार प्राप्त अधिकारियों ने उस पर विचार करना चाहिये। परन्तु, न्यायाधिशों की नियुक्ति में आरक्षण के लिए इन्कार किया। न्यायालय ने यह सलाह दी कि, इस संबंध में सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिवेदन देना चाहिये।

न्यायालय यह मानता है कि न्यायपालिका में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति के सदस्यों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है और यह भी सलाह देता है कि इस संबंध में सरकार और मुख्य न्यायाधीश को प्रतिवेदन किया जावें। इससे यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विषयपर विचार करना टाल दिया है। सरकार और मुख्य न्यायाधिश की न्यायाधिशों के नियुक्ती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सरकार और मुख्य न्यायाधीश चाहते तो न्यायपालिका में इन वर्गों के न्यायाधिशों का उचित प्रतिनिधित्व होता। इन नहीं चाहने वालों को प्रतिवेदन करने से स्थिति बदल नहीं सकती क्योंकि वह भी हिन्दु धर्म की जाति व्यवस्था के पोषक है और जातिद्वेष के कारण इन वर्गों के न्यायधिशों की नियुक्तीयां उच्च न्यायपालिका में नहीं करते। इन अधिकार प्राप्त लोगों को कानुनी प्रावधानों से बाध्य किये बगैर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनु. जाति और अनु. जनजाति के न्यायाधिशों की नियुक्तीयां उच्च न्यायपालिका में नहीं होगी। इसलिए इस संबंध में कानुनी प्रावधान करना जरूरी है क्योंकि विषमतावादी व्यवस्था से न्याय की अपेक्षा करनी है तो कानुनी बंधन जरूरी है। ऐसा करने से थोड़ासा न्याय तो मिल सकता है क्योंकि इस देश में जातिद्वेष से ग्रस्त लोगों द्वारा कानुन भी तोड़ा जाता है। निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि भारत में वंचित लोगों न्याय तबतक नहीं मिलेगा जबतक इस देश में हिन्दु व्यवस्था रहेगी। इसलिए इस व्यवस्था को ध्वस्त कर बुद्ध की समतावादी व्यवस्था प्रस्थापित करना जरूरी है।

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

अशित इन्टरप्राइजेस

47, ओम अपार्टमेंट, गणपती इन्क्लेव कोलार रोड,
भोपाल- 462042

राहुल रंगारे, डायरेक्टर

मो. 9893690451, 9826063966
इमेल - Email :rahulrangare@redifmail.com

SBI Life Insurance Adviser
(Licence No. 8934017)
HIG-58, Bima Kunj, Kotal Road, Bhopal

Rahul Rangare

Mob. : 9893690451,9826063966
Email :rahulrangare@redifmail.com

समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम

महाबोधी महाविहार पर बम विस्फोट के विरोध में निषेध रैली

दिनांक 16 जुलाई 2013 को सौंसर (जि. छिंदवाडा, म.प्र.) में महाबोधी महाविहार में हुये बमस्फोट के विरोध में भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का नैतृत्व पुज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई द्वारा किया गया। रैली समाप्ती के बाद एस.डी.एम., सौंसर को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। रैली प्रारंभ होने के कुछ ही देर बाद अचानक बारीश शुरू हो' गई उसके बावजुद भी कोई भी बौद्ध अनुयायी रैली के बाहर नहीं गया बल्की बारिश कि पर्वा किये बगैर रैली में शामिल होते गये।

कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर

नागपुर से 45 कि.मी. दुरी पर कोंडासावली के निसर्गरम्य वातावरण में दिनांक 9,10 और 11 अगस्त को कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ़ और उत्तरप्रदेश से 45 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हुये थे। आंबेडकरी आंदोलन पर आयु. हृदेश सोमकुवर तथा बुद्ध और उनका धम्म पर आयु. राजु कदम द्वारा मार्गदर्शन किया गया । इन विषयों पर प्रशिक्षणार्थीयों को बहुत सी बातें स्पष्ट हुई। उनका ज्ञानवर्धन हुआ और नई दिशा मिली। प्रतिदिन इन विषयों पर प्रश्नोत्तर हुये और सामुहिक चर्चा हुई। सभी प्रशिक्षार्थीयों ने प्रशिक्षण की सराहना की और कुछ ने अपने -अपने क्षेत्रों में ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की ईच्छा जाहीर की।

अखिल भारतीय धम्म ज्ञान परीक्षा - 2013

दिनांक 4 अगस्त 2013 को सुबह 11 से 12.30 बजे के बिच अखिल भारतीय धम्म ज्ञान परिक्षा सम्पन्न हुई। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार,छत्तिसगढ़ और महाराष्ट्र केद्रों पर यह परिक्षा सम्पन्न हुई। इस परिक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक राज्य के निम्नलिखित परिक्षार्थीयों को प्रत्येकी 2000 रूपये नगद, स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।

नाव	गृप	स्थान	रोल नं.
महाराष्ट्र			
पियुष पुष्पशाम हुमने	जुनियर	नागपुर	17575
विनय मछिन्द्र साळवे	सिनियर	वासिंद	21011
मध्यप्रदेश			
दिव्यानी मेश्राम	जुनियर	मंडला	13872
रीना सुर्यवंशी	सिनियर	बैतुल	13036
उत्तरप्रदेश			
साक्षी गौतम	जुनियर	लखनऊ	17839
रणविजय	सिनियर	लखनऊ	17805
छत्तिसगढ़			
सौरभ चौहान	जुनियर	चरोदा	21521
निलेशकुमार मेश्राम	सिनियर	चरोदा	21601
बिहार			
कविता कुमारी	जुनियर	प्लांकि	20880

पुरस्कार वितरण समारोह दि. 12.10.2013 को दिक्षाभूमी (स्टॉल न. 165,166), नागपुर पर सम्पन्न होगा। इसके अलावा 25 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी परिक्षार्थीयों को प्रमाणपत्र वितरित किये जायेंगे।

समिति द्वारा आगामी कार्यक्रम

पुरस्कार वितरण समारोह

दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को शाम 5.00 बजे अखिल भारतीय धम्मज्ञान परिक्षा 2013 में सफल प्रशिक्षार्थीयों को पुरस्कार वितरित किये जायेंगे। यह कार्यक्रम स्टाल ने. 165,166 दिक्षाभूमि पर होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता भदन्त आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई करेंगे और आयुष्यमती डॉ. निलिमा चौहान मुख्य अतिथी होंगी।

बुद्ध धम्म संदेश रैली

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बुद्धधम्म संदेश रैली के माध्यम से गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचकर धम्मप्रचार किया जायेगा। दीक्षाभूमी नागपुर से दिनांक 15.10. 2013 को रैली प्रारंभ होगी और दिनांक 11.2. 2014 को धम्मगिरि काजलवाणी, (त. सौंसर, जि. छिंदवाडा, म.प्र.) पर रैली का समापन होगा। बुद्ध धम्म संदेश रैली द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, छत्तिसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार और राजस्थान इन राज्यों का भ्रमण किया जायेगा। रैली का भ्रमण कार्यक्रम निम्नानुसार है।

बुद्ध धम्म के प्रचार एवं प्रसार के संबंध में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था कि बुद्ध धम्म का ग्रंथ बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर आधारित होना चाहिये क्योंकि ध्यान, साधना और अभिधम्म पर आधारित शिक्षा हमारे लिए घातक है। उन्होंने स्वयं बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर आधारित ग्रंथ 'बुद्ध और उनका धम्म' तैयार कर हमें दिया। बुद्ध धम्म प्रचार समिति इसी ग्रंथ को प्रमाणिक ग्रंथ मानकर बुद्ध धम्म का प्रचार करती है। उन्होंने यह कहा था कि, धम्म के विषयों पर निबंध, प्रतियोगिता आयोजित कर प्रतियोगियों को पुरस्कार देना चाहिए। यह धम्म प्रचार का सशक्त माध्यम है। उसके अनुसार बुद्ध धम्म प्रचार समिति अपनी सहयोगी संस्था डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंथन समिति के माध्यम से प्रतिवर्ष 'बुद्ध और उनका धम्म' पर आधारित परीक्षा आयोजित करती है और प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित करती है। इस परिक्षा के आवेदन पत्र विजयादशमी से वितरित किये जाते है और परीक्षा अगस्त माह में होती है। कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो इसलिए 'प्रशिक्षण शिविर' आयोजित किये जाते है। और यें प्रशिक्षित धम्मप्रचारक बुद्ध धम्म संदेश रैली के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्र में पहुंचकर धम्म प्रचार करते है। समिति द्वारा साहित्य भी वितरित किया जाता है। साथ ही 'बुद्ध धम्म महोत्सव' का भव्य आयोजन किया जाता है।

15 अक्तुबर 1956 को दीक्षाभूमिपर बाबासाहेब ने कहा था कि धम्म प्रचार के लिए हमें यंत्रणा (तंत्र) बनानी होगी। उसकी दिशा बाबासाहेब ने अपने लिखान के माध्यम से दिखाई है। उसी को ध्यान में रखकर बुद्ध धम्म प्रचार समिति ने अपने कार्यक्रम बनाये है।

1. साहित्य के माध्यम से प्रचार - बुद्ध और उनका धम्म, क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, धम्म संदेश और बाईस प्रतिज्ञा (पाकीट बुक और डीवीडी), त्रैमासिक पत्रिका 'प्रज्ञा प्रकाश' बाबासाहेब के लिखान और भाषण की हिन्दी भाषा में किताबें (21 खण्ड), नव वर्ष का कॅलेंडर तथा धम्मप्रचार के लिए आवश्यक पर्चे वितरित कर जनता को स्वयं पढ़कर जानने का अवसर देना।

2. परीक्षा तथा प्रतियोगिता के माध्यम से प्रचार - बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ पर आधारित परीक्षा तथा उस ग्रंथ से किसी विषय पर प्रतियोगिता आयोजित कर पुरस्कार देना ताकि जनता प्रवृत्त हो और धम्म को अच्छी तरह जान सके।

3. रैली के माध्यम से प्रचार- समिति के धम्म प्रचारक रैली के माध्यम से जनता तक पहुंचे और उन्हें धम्म की शिक्षा को तथा बाबासाहेब के विचारों को बतायें और साहित्य उपलब्ध करायें ताकि जनता जागृत हो सके और अपने कल्याण के मार्ग का स्वीकार कर सकें।

4. बुद्ध धम्म महोत्सव के माध्यम से प्रचार - बड़ी संख्या में एकसाथ जनता को विद्वानों के प्रबोधन के माध्यम से तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बाबासाहेब तथा बुद्ध के विचारों को जानने का अवसर मिले तथा प्रेरणा मिले इसलिए बुद्ध धम्म महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है।

5. कार्यकर्ता प्रशिक्षण - कार्यकर्ताओं को आंबेडकरी आन्दोलन और बुद्ध धम्म की सही-सही जानकारी हो इसलिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। बुद्ध और बाबासाहेब का आन्दोलन मानव कल्याण का आन्दोलन है। उसे कार्यकर्ता अच्छी तरह समझे मानवता विरोधी ताकतों को समझे, अपनी कमियों को दूर करे और समाज का सही मागदर्शक बने इसलिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते है।

6. बुद्धीस्ट सेमिनरी तथा समाज सेवा केन्द्रों की स्थापना - शासन और प्रशासन द्वारा अवरोध के कारण इन्हें स्थापित नहीं किया जा सका। निश्चित योजना बनाकर इन्हें स्थापित किया जायेगा ताकि विद्वान धम्मप्रचारक बनाये जा सके और समाज की सेवा की जा सके।

बुद्ध धम्म संदेश रैली और बुद्ध धम्म महोत्सव यह हमारे आगामी कार्यक्रम है। धम्म प्रचार के कार्य को प्रभावी और गतिशील बनाने के लिए सभी से निवेदन है कि तन-मन-धन से सहयोग करे।

15.10.2013	दीक्षाभूमि, कळमेश्वर	घोगली
16.10.2013	सोनोली, सिंदी, मन्नातखेडी, येनीकोनी, नरखेड	खरसोली
17.10.2013	मोवाड, थुगांवदेव, मदला, जलालखेडा, भारसिंगी	
	लोहारी सावंगा, मायावाडी, जायगाव, तरोडा	नारा
18.10.2013	कारंजा, थानेगांव, हेटीकुंडी, कन्नमवारग्राम	खैरवाडा
19.10.2013	धानापुर, बोथली, वाढोना, सावळा बेढोना नानपुर	
20.10.2013	आर्वी, वर्धवनेरी, जळगांव, वेलोरा,	
	सिरपुर, चिमुर, आष्टी	थार
21.10.2013	बोटोना, पार्डी, सुसुंद्रा, मानिकवाडा, तारासावंगा	उतारा
22.10.2013	धाडी, सावुर, राजोरा(बाजार), पोवनी, धनोडी, वरूड	तिवरखेड़
23.10.2013	बेनोड़ा, हिवरखेड़, मोर्शी	रिद्धपुर
24.10.2013	बेलोरा, चांदुरबाजार, मधान, विरसोळी, करजगांव	गोविंदपुर
25.10.2013	परतवाड़ा, पथरोड, अंजनगांवसुर्जि, कोकर्डा	लेहगांव
26.10.2013	दर्यापुर, येंडली, आमला, आसरा, सायत,	
	भातकुली, निम्भा	कुंडखुर्द
27.10.2013	राहतगांव, नांदगावंपेठ, सावर्डी पिंपळसीरा	शेंदोडा
28.10.2013	जळका, मार्डी, सावंगी मगरापुर, चांदुर रेल्वे	धामनगांव
29.10.2013	धनोडी, सातेफळ, जावरा राजोरा, पिंपरी निपानी,	
	पिंपळगांव, दोनद	कारंजालाड
30.10.2013	मंगरूळपीर	महान
31.10.2013	बारसीटाकळी, सिंदखेंड, पातुर	सस्ती
1.11.2013	वाडेगांव, अडगांव, दोनगांव, मेहकर, वाकड,	
	रिसोड, सेनगांव, नरसी	हिंगोली
2.11.2013	आवंधा, नागेश्वरवाडी, बाराशिवमंदीर	येरंडेश्वर मंदीर
3.11.2013	राहटी, परभणी, पोकर्णी,रानी सावरगांव	अहमदपुर
4.11.2013	चाकुर, नळेगांव	लातुर
5.11.2013	वाडी, मुरूड, ढोकी, कळंब	सरनमुंडी फाटा
6.11.2013	पारगांव, चौसाळा, माजरसुवा, पाली	बीड

7.11.2013	नामलगांव, गड़ी, गेवराई, शाहगड़	वड़ी गोदरी
8.11.2013	पातुर, आडुळ, पिंपळगांव	औरंगाबाद
9.11.2013	सावंगी चौका, वाडी, फुलंबरी,पाथरी, आळण, भवन	सिल्लोड़
10.11.2013	पिंपरी, मालखेड़ा, इब्राहीमपुर	
	भोकरदन, केदारखेड़ा, राजुर	जालना
11.11.2013	हिसवन, कुंभार, पिंपळगांव	आष्टी
12.11.2013	हतगांव, खेरड़ा, नाळीवाड़ा, धामनगांव	पाथरी
13.11.2013	मानवत सेल, सावंगी, मगर	पातलगांव
14.11.2013	जिंतुर, वरूड, जोगवाड़ा, चारठान, मंठा	वाटुर
15.11.2013	वडगांव, ढगी, नेर, चितळीपुतळी, रामनगर	कन्हैया नगर
16.11.2013	पिंपळगांव, पांघरी, आळण, सामखेड़ा	जाफ्राबाद
17.11.2013	हरपळा, बोरगांव, रेनकाई, लेहासेलुद	वडद
18.11.2013	धावड़ा, बालसावंगी, देवुळघाट	बुलढाना
19.11.2013	मोताळा, मलकापुर, जांभुळधाबा, धानखेड़,	
	निमखेड़ी, मेनगांव, वरखेड़, राजुर	बोधवड़
20.11.2013	सेलवड़, मालदभाड़ी, बाड़ी किल्ला, जामनेर, पहुर,	
	सेंदुर्णी, कळनसरा, पाचोरा, भड़गांव	चाळीसगांव
21.11.2013	मेहुनवारे, बोरकुंड, फागने, वड़जई, धुळे, देवभाना	बोरीस
22.11.2013	नेर, अक्कलपाड़ा, शेवळी,	साक्री
23.11.2013	घोड़दे, चिंचपाड़ा, खांड़बारा	नवापुर
24.11.2013		सुरत
25.11.2013		बड़ोदा
26.11.2013		गांधीनगर
27.11.2013		इदर
28.11.2013		मेहसाना
29.11.2013		अहमदाबाद
30.11.2013		आनंद
1.12.2013		भरूच
2.12.2013		वलसाड़
3.12.2013		कासाखुर्द
4.12.2013		थाने
5.12.2013		मुंबई
6.12.2013	**महापरिनिर्वाण दिन (चैत्यभूमि)**	मुंबई
7.12.2013	मुंबई	नागोदने
8.12.2013	कोलाड़, इंदापुर, तळा, मानगांव	महाड़
9.12.2013	आंबेट, दापोली	मापराळ
10.12.2013	पालवली, मंडलगड़, महू	विसापुर
11.12.2013	आगरवगजानी, उन्हवरे, रूखी	कोंड़े

12.12.2013	साखरोली, कोरेगांव	वैभववाड़ी
13.12.2013	कोड़ा	कोल्हापुर
14.12.2013	पाठन	सातारा
15.12.2013		पुणे
16.12.2013		मोहळ
17.12.2013	सोलापुर, झलकी	बिजापुर
18.12.2013	कामदगी, सिंदगी, गंगापुर	गुलबर्गा
19.12.2013	सर्गपुर, होमनाबाद, भालकी	बिदर
20.12.2013	वड्डी, मेड़रू, जहीराबाद	संगारेड्डी
21.12.2013	रामचंद्रपुरम	हैद्राबाद
22.12.2013		कामरेड्डी
23.12.2013	निजामाबाद	पारकेट
24.12.2013	निर्मल, गौरी हथनुर	अदिलाबाद
25.12.2013	बोरी, पांढरकवड़ा, पारवा, सुकळी	आर्णि
26.12.2013	मानपुर, जवळा, वाई इजारा, कंझारा	हिवरी
27.12.2013	यवतमाळ, बाभुळगांव, कळंब, वर्धा	तिगांव
28.12.2013	तरोड़ा, जांब	वरोरा
29.12.2013	निलजाई, सोईट केळी माजरा, बोर्डा, पावना	वडगांव
30.12.2013	घुघ्घुस, कोड़सी, कोरपना	जिवती
31.12.2013	मानिकगड़, येलापुर, गड़चांदुर, शेणगांव	
	पाचगांव, राजुरा, कोठारी	बल्लारपुर
1.1.2014	विसापुर, चन्द्रपुर, भद्रावती, डिफेन्स	
	खानगांव, नेरी, भिसी	चिमुर
2.1.2014	शंकरपुर, काम्पाटेम्पा, नागभीड़	सिंदेवाही
3.1.2014	मूल, बेंबाळ, केळझर	सुशी (दाबगांव)
4.1.2014	देवाळा, पोंभुर्णा, बोरगांव	गोंडपिपरी
5.1.2014	आष्टी, अहेरी	आलापल्ली
6.1.2014	वायगांव	चामोर्शी
7.1.2014	गडचिरोली	पोर्ला
8.1.2014	आरमोरी	कुरखेडा
9.1.2014	वडसा	ब्रह्मपुरी
10.1.2014	कहाली, नांदगांव, पिंपळगांव	मडेघाट
11.1.2014	लाखांदुर, अर्जुनी (मोर), सानगड़ी	कुंभली
12.1.2014	साकोली, डव्वा, गोरेगांव, कारंजा	गोंदिया
13.1.2014	पांढरबोड़ी, रावणबोड़ी, कामठा, नवरगांवकला	दतोरा
14.1.2014	गिधाडी, आमगांव	सालेकसा
15.1.2014	बोरतलाव	गोपालपुर
16.1.2014	छुरिया	हालमगोड़ा

17.1.2014	दुर्ग	भिलाई
18.1.2014	कुम्हारी	रायपुर
19.1.2014	सिमगा, दामाखेड़ा, नांदघाट	टेमरी
20.1.2014	गर्री,भाटापारा	बिलासपुर
21.1.2014	मोपका, पौसरा, नेवशा, भटीयारी	रॉक
22.1.2014	सीपत, धनिया, खम्हरिया, मडई	कुकदा
23.1.2014	जावलपुर, खोखरा, महंत	बुड़ेना
24.1.2014	भैसमुंड़ी, हरदी, पिसौदा, हथनेवरा	कोसमंदा
25.1.2014	सोंठी, मुड़पार, सरवानी, बाराद्वार	आमगांव
26.1.2014	जैजेंपुर, सेंदरी, हसौद, छपोरा	रवेली
27.1.2014	सारसकेला, सरायपाली	महासमुंद
28.1.2014	राजीम	गरियाबंद
29.1.2014	धमतरी	बालोद
30.1.2014	देवरी	राजनांदगांव
31.1.2014	खैरागड़, गंडई	डौंडीलोहारा
1.2.2014	सालटेकरी, दमोह	मलाजखंड़
2.2.2014	बालाघाट	एकोड़ी
3.2.2014	आलेझरी, डोंगरमाली, खैरलांजी	तिरोड़ा
4.2.2014	भंडारा, अड्याळ, कोंडाकोसरा	निरगुड़ी
5.2.2014	पवनी	उमरेड
6.2.2014	उदासा, दिघोरी	नागपुर
7.2.2014	नागपुर	नागपुर
8.2.2014	नागपुर	नागपुर
9.2.2014	कोराडी, खापरखेडा, सावनेर	तिष्टी
10.2.2014	सावरगांव, तपनी, नांदा, पंढरी, जलालखेड़ा	नरसाळाखापा
11.2.2014	भागीमाहेरी, रामपुरी, केळवद	सौंसर

गाडी नं. 2

17.11.2013	धम्मगिरि, बुद्धवन	पार्डी (देशमुख)
18.11.2013	चारगांव, नागपुर, कामठी	कन्हान
19.11.2013	जलद	जबलपुर
20.11.2013	जलद	कर्वि (चित्रकुट)
21.11.2013		कोशांबी
22.11.2013		इलाहाबाद
23.11.2013		बुआपुर (प्रतापगढ़)
24.11.2013	जौनपुर	सारनाथ
25.11.2013	भभुआ, चिनारी	सासाराम

26.11.2013	डीहरी, औरंगाबाद	प्लांकी
27.11.2013	डोभी	बुद्धगया
28.11.2013	जहानाबाद	पटना
29.11.2013	मानेर, आरा	बिहीया
30.11.2013	बक्सर	गाजीपुर
1.12.2013		आजमगढ़
2.12.2013		राजीपुर बाजार (गोरखपुर)
3.12.2013		ललई (देवरीया)
4.12.2013		रामकोला (कुशीनगर)
5.12.2013		शाहपुर (बस्ती)
6.12.2013		खुनीगांव (सिद्धार्थ नगर)
7.12.2013		श्रावस्ती (बलरामपुर)
8.12.2013		लखनऊ
9.12.2013		सितापुर
10.12.2013		हरदोई
11.12.2013		संकीसा (फरूखाबाद)
12.12.2013	.	आगरा
13.12.2013		धौलपुर
14.12.2013		मुरैना
15.12.2013		भींड़
16.12.2013	भांडेर, इंदरगढ़	दतिया
17.12.2013	झांसी	तालबेहट
18.12.2013	ललितपुर, मालथौन	खिमलासा
19.12.2013	कंजीया, मुंगावली, अंताईखेड़ा	अशोकनगर
20.12.2013	गुना, मिहाना, सुमेला, बदरवास	बारां
21.12.2013	अटरू, पचाड़, जैपला, छाबड़ा	कुंम्भराज
22.12.2013	जामनेर, मधुसूदनगड़, बैरासिया	भोपाल
23.12.2013	भोपाल	भोपाल
24.12.2013	सिहोरा	ईच्छापुर
25.12.2013	नसरूल्लागंज, बुधनी, होशंगाबाद	इटारसी
26.12.2013	शाहपुर, घोड़ाडोंगरी, पाथाखेड़ा	सारणी
27.12.2013	बैतुल, मुलताई, आमला	बोरदेई
28.12.2013	दमुआ, जामई	जुन्नारदेव
29.12.2013	अंबाड़ा, परासिया, रावणवाड़ा	छिंदवाड़ा
30.12.2013	अमरवाड़ा, हर्रई	नरसिंहपुर (नगर्धा)
31.12.2013	करेली	सागर
1.1.2014		बड़ामल्हेरा

2.1.2014	छतरपुर	खजुराहो
3.1.2014	लवकुशनगर, अजमगढ़, पन्ना	हिरापुर
4.1.2014	देवेन्द्र नगर, नागौद, सलेहा, असोली	पवई
5.1.2014	शाहनगर	रैपुरा
6.1.2014	कटनी, सिहोरा, पनागर	जबलपुर
7.1.2014	पाटन	जबलपुर
8.1.2014	कुंड्म, शहपुरा, चाबी	मंड्ला
9.1.2014	बम्हणी, जामगांव, ठीठोरी, गोकुठाना, नैनपुर	
	केवलारी, सारसडोल	उगली
10.1.2014	केवलारी, प्रेमनगर, भोमा, बंजारी, बरघाट, मंडी	नेवाडी
11.1.2014	सजनवाड़ा, काठी, गंगेरूआ	कटंगी
12.1.2014	सिताखोह, नांदी, तिरोड़ी	महिकेपार
13.1.2014	नाकाडोंगरी, राजापुर, तुमसर, रामटेक, मनसर	मेंदी
14.1.2014	नयाकुंड़, पारशिवनी, नेऊरवाड़ा, खैरी (पेंच)	
	चारगांव, आवळेघाट	सालई
15.1.2014	खैरी (पंजाबराव), उमरी, हिंगणा,	
	खापा, खुबारा, रिसाळा	बड़ेगांव
16.1.2014	टेंभुरडोह, सिरोंजी, सुखानी, सिंदेवानी, वैरागड़	चन्द्रिकापुर
17.1.2014	सोनपुर, धनेगांव, खमारपानी	
	बिछुआ, उमनाला, तनसरा, रंगारी, सिलेवानी	खापा
18.1.2014	कन्हानपिपळा, रामाकोना, देवी,	
	घड़ेला, बड़ोसा, घोटनी, लोहांगी	वग्गुबिछवा
19.1.2014	कुड्डम, रानपेठ, कोपरावाड़ी, सिलोरा	जोबनी
20.1.2014	नांदेपुर, निमनी, बेरड़ी	मोहगांव
21.1.2014	सिल्लेवानी, ढोलनी	मोरघोंदी
22.1.2014	बाळापुर, रायबासा, सावजपानी, भाजीपानी	गोविंदपुर
23.1.2014	अंबाड़ा, गायखुरी, नांदनवाड़ी, बंधान	टेमनीकला
24.1.2014	सिराटा, गोरलीखापा, भटेवाड़ी, चिचखेड़ा	खेड़ी
25.1.2014	तिगांव, मारूड़, वाड़ेगांव, हरदोली, लिंगा	जाटलापुर
26.1.2014	मोहखेड़ी, लवाना, कळमगांव, भंदारघोंदी	गुजरखेड़ी
27.1.2014	निलकंड, धावड़ीखापा, देवखापा	परसोड़ी
28.1.2014	जुनेवानी, उमरी, मरकावाड़ा	कामठीकला
29.1.2014	लेंडोरी, भीमखेड़ी, गड़मोह	मोरड़ोंगरी
30.1.2014	भूली, रजाड़ी पिपळा, कोंढ़र	उमरा
31.1.2014	सिवनी, खैरी, दाढ़ीमेटा, करवार, दळवी मोहदी	लांघा
1.2.2014	राजना, टेमनी, हिवरा, वड़चिचोली	बोथीया
2.2.2014	सायखेड़ा, सितापार, शेंबड़ा, ढोकड़ोह	पिपला
3.2.2014	गांगतवाड़ा, पंडरी, पंधराखेड़ी	बानाबाकोड़ा

4.2.2014	रिधोरा	जाखीवाड़ा
5.2.2014	घोतकी, बोरगांव, जांभळापानी	ब्राह्मण पिपळा
6.2.2014	लोधीखेड़ा, खैरी, पारड़सिंगा, सातनुर, कोदाड़ोंगरी	सावंगा
7.2.2014	सौसर	
8.2.2014	जलद प्रचार	
9.2.2014	जलद प्रचार	
10.2.2014	जलद प्रचार	
11.2.2014	जलद प्रचार	

महापरिनिर्वाण दिन समारोह :

दिनांक 6 दिसंबर 2013 को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिन को बुद्ध धम्म प्रचार समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प दिन के रूप में मनाया जायेगा। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ता भारत बौद्धमय करने का संकल्प लेंगे।

भारतीय संविधान की संक्षिप्त जानकारी

नागरिकता :

संविधान के अनुच्छेद 5 ने के समय भारत में निव के अनुसार भारत का नागरिक वह है, जो संविधान लागु होस करता था और

(क) जिसका भारत में जन्म हुआ था या

(ख जिसके माता या पिता मे से किसी का भारत में जन्म हुआ था या

(ग) जो संविधान लागु होने के पूर्व कम से कम पांच वर्ष तक भारत का निवासी था

मौलिक अधिकार :

अनुच्छेद 14ः विधी (कानुन) के समक्ष समता-

किसी भी व्यक्ति को विधी के समक्ष समता या विधीद्वारा समान संरक्षण से वंचित नही किया जा सकता।

अनुच्छेद 15ः (1) किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश,जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधारपर भेदभाव नही किया जा सकता।

(2) किसी भी नागरिक को धर्म, वंश,जाती, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर

(क) दुकान, सार्वजनिक भोजनालय,होटल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर प्रवेश या

(ख) सार्वजनिक कुएं, तालांब,स्नानघाट सडक और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से प्रतिबंधीत नही किया जा सकता।

(3) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए प्रतिबंधीत नही करेगी।

(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टीसे पिछड़े हुये नागरिकों के किसी वर्ग की उन्नती के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए प्रतिबंधीत नही करेगी।

(अनुच्छेद 29 खंड (2)- राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधी से सहायता पानेवाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म वंश जाति, भाषा के आधार पर वंचित नही किया जायेगा)

(5) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये नागरिकों के किन्ही वर्गों की उन्नती के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातीयों के लिए विधी द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने से प्रतिबंधित नही करेगी, (जहां तक ऐसे प्रावधान अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को छोडकर, शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत निजी संस्थायें भी है, चाहे वें राज्य से सहायता प्राप्त हो या नही, प्रवेश से संबंधीत है।)

अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को छोडकर अन्य शिक्षा संस्था जिनमें निजी संस्था चाहे वह राज्य से सहायता प्राप्त हो अथवा नहीं, ऐसी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश सम्बन्धित प्रावधान राज्य कर सकते है।(अनुच्छेद 19 खंड (1) उपखंड (छ)- सभी नागरिकों को कोई पेशा, उपजिविका, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार होगा)

अनुच्छेद 16ः लोक नियोजन के विषय में अवसर

की समता-

(1) राज्य के अधीन किसी पद पर रोजगारया नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(2) राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के संबंध में केवल धर्म, मुलवंश, जाति, लिंग, कुल, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद का कोई ऐसी विधी बनाने से प्रतिबन्धित नही करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानिय या अन्य प्राधिकरण के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर रोजगार या नियुक्ति के संबंध में ऐसे रोजगार या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई आवश्यकता करती है।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की दृष्टि में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नही है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से प्रतिबन्धित नही करेगी।

(क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की दृष्टि में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नही है, राज्य के अधीन सेवाओं में (किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित पदोन्नति के मामलों में) आरक्षण के लिए प्रावधान करने से प्रतिबन्धित नही करेंगी।

(ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किए गये आरक्षण के लिए किसी प्रावधान के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी अगले वर्ष या वर्षों के भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रुप में विचार करने से प्रतिबन्धित नही करेगी और ऐसे वर्ग को रिक्तियों पर जिस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही है, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण का अधिकतम सीमा का बन्धन करने के लिए विचार नही किया जाऐगा।

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के निर्वहन पर प्रभाव नही डालेगी, जो यह प्रावधान करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्य-कलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासक निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो।

अनुच्छेद 17ः अस्पृश्यता का अंत -

''अस्पृश्यता'' का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रुप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।''अस्पृश्यता'' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधी के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद 18ः उपाधियों का अंत-

(1) राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नही करेगा।

(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्विकार नही करेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नही है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपती की सहमति के बिना स्विकार नही करेगा।

(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद
धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी
रुप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्विकार नही करेगा।

अनुच्छेद 19ः स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का

संरक्षण

(1) सभी नागरिकों को
(क) बोलने एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(ख) शांतिपूर्वक और निःशस्त्र सम्मेलन का,
(ग) समुह या संघ बनाने का,
(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरचण का,
(ड़) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग मेंनिवास करने और स्थायी बस जाने का : और
(छ) कोई पेशा, उपजिविका, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार होगा।
(2) खंड (1) के उपखंड

(क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधो, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध-भडकाने के संबंध में युक्तियुक्त निर्बन्ध जहां तक कोई विद्यमान विधी आरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नही डालेगी या वैसे निर्बन्ध आरोपित करने वाली कोई विधी बनाने से राज्य को प्रबन्धित नही करेगी।

(3) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता लोक व्यवस्था के हितों युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई

विद्यमान विधी आरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नही डालेगी या वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधी बनाने से राज्य को प्रतिबन्धित नही करेगी।

(4) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधी आरोपित करती है वहां तक उसके निर्वहन पर प्रभाव नही डालेगी या वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधी बनाने से राज्य को प्रतिबन्धित नही करेगी।

(5) उक्त खंड के उपखंड (घ) और उपखंड (ड) की कोई बात उक्त उपखंडो द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाती के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधी आरोपित करती है वहां तक उसके निर्वहन पर प्रभाव नही डालेगी या वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधी बनाने से राज्य को प्रतिबन्धित नही करेगी।

(6) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वहां तक उसके निर्वहन पर प्रभाव नही डालेगी या वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधी बनाने से राज्य को प्रतिबन्धित नही करेगी और विशेषतः उक्त उपखंड की कोईबात -

(1) कोई वृत्ति, उपजिविका, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए आवश्यक पेशे सम्बन्धी या तकनीकी अर्हताओं से, या (2) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा, नागरिकों का पूर्णतः या आंशिक वंचित करके या अन्यथा, चलाए जाने से, जहां तक कोई विद्यमान विधी संबंध रखती है वहां तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नही डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधी बनाने से राज्य प्रतिबन्धित नही करेगी।

अनुच्छेद 20ः अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण-

(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नही ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रुप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधी का अतिक्रमण नही किया है या उससे अधिक दण्ड का भागी नही होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधी के अधीन आरोपित की जा सकती थी।

(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नही किया जाएगा।

(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नही किया जाएगा।

अनुच्छेद 21ः जिने का अधिकार

(क) शिक्षा का अधिकार-

राज्य छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वालेसभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी व्यवस्था में जो राज्य विधी द्वारा अवधारित को, प्रावधान करेगा।

अनुच्छेद 22ः कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (1) किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना कैद नही रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधी व्यवसायी से परामर्स और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रहखा जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है और कैद में रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रे वे न्यायालय तक यात्रा के लिएआवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि म निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए कैद में नही रखा जाएगा।

(3) खंड (1) खंड (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नही होगी जो-

(क) तत्सम् शत्रु अन्य देशी है ः या

(ख) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधी के अधीन गिरफ्तार या कैद किया गया है।

(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधी किसी व्यक्ति का तीन माह से अधिक अवधि के लिए तब तक कैद किया जाना प्राधिकृत नही करेगी जब तक कि-

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहे है या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने तीस माह की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नही दिया है कि उसकी राय में ऐसे बन्धन के लिए पर्याप्त कारण है ः परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नही करेगी जो खंड (7) के उपखंड (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है ः

(ख) ऐसे व्यक्ति को खंड (7) के उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधी के उपबंधो के अनुसार कैद नही किया जाता है।

(5) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधी के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को कैद किया जाता है तब आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने के लिए उसे

शिघ्रातिशीघ्र अवसर देगा।

(6) खंड (5) कि किसी बात से ऐसा आदेश,जो उस खंड में निर्दिष्ट है, करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नही होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है।

(7) संसद विधी द्वारा विहित कर सकेगी की-

(क) किन परिस्थितीयों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध उपबंध करने वाला किसी विधी के अधीन तीन माह से अधिक अवधि के लिए खंड (4) के उपखंड (क) के उपबंधो के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना कैद किया जा सकेगाः

(ख) किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितना अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधी के अधीन कैद किया जा सकेगा : और

(ग) खंड (4) के उपखंड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी।

अनुच्छेद 23ः मानव तश्करी और बलात्श्रम व प्रतिषेध

(1) मानव तश्करी और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधी के अनुसार दंडनीय होगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने से प्रतिबन्धित नही करेगी। ऐसी सेवा आरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मुलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा।

अनुच्छेद 24ः कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध-

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नही किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नही लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 25ः अंतःकरण की और धर्म के अबाध रुप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता-

(1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रुप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने समान हक होगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधी के प्रवर्तन पर प्रभाव नही डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधी बनाने से निवारित नही करेगी जो-

(क) धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तिय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है ः

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओ के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है।

अनुच्छेद 26ः धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता-

लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को -

(क) धार्मिक और वांछित उपदेशों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,

(ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का,

(ग) चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का,और

(घ) ऐसी संपत्ति का विधी के अनुसार प्रशासन करने का, अधिकार होगा।

अनुच्छेद 27ः किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता-

किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नही किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रुप से विनियोजित किए जाते है।

अनुच्छेद 28ः कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता-

(1) राज्य-निधी से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नही दी जाएगी।

(2) खंड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नही होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किन्तु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

(3) राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नही किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है, तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नही दी है।